आई.एस.एस.एन. 2230—7044 पुलिस विज्ञान

वर्ष - 32 अंक 129 अक्टूबर-दिसंबर, 2014

वर्ष - 32 अंक 129 अक्टूबर-दिसंबर, 2014

पुलिस विज्ञान

(त्रैमासिक पत्रिका)
अक्टूबर-दिसंबर, 2014

सलाहकार समिति

राजन गुप्ता
महानिदेशक

आर.के. किणि ए.
अपर महानिदेशक

एल. मोहंती
महानिरीक्षक (एस. एंड पी.)

सुनील कपूर
उप महानिरीक्षक (एस. एंड पी.)

संपादक : **दिवाकर शर्मा**

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, 3 एवं 4 मंजिल
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
011-71213215

संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का अक्टूबर-दिसंबर, 2014 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य-प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रेस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिसकर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए उपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार पुलिसकर्मियों के लिए **परिवार परामर्श केंद्र—एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, 21 वीं शताब्दी में समाज की दृष्टि में पुलिस, भारतवर्ष में वर्तमान अपराध अन्वेषण और न्याय प्रणाली की समीक्षा, आतंकवाद से निपटने के निरोधी उपाय, भारतीय आसूचना तंत्र विकास एवं चुनौतियां, पुलिस सुधार : एक अंतहीन कथा, आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका, भारतीय समाज में महिला अपराध एवं पुलिस की भूमिका** से संबंधित लेख हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

दिवाकर शर्मा
संपादक

वर्ष - 32 अंक 129 अक्टूबर-दिसंबर, 2014

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम.जैड. खान, नई दिल्ली
श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
डा. दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री वी.वी. सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

अनुक्रम

परिवार परामर्श केंद्र—एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
- *डा. दिवाकर सिंह राजपूत, डा. शुमायला कुरैशी* ---------- *7*

21वीं शताब्दी में समाज की दृष्टि में पुलिस
- *डा. एस. अखिलेश* ---------- *22*

भारतवर्ष में वर्तमान अपराध अन्वेषण और न्याय प्रणाली की समीक्षा
- *डा. जे.आर. गौड़* ---------- *26*

आतंकवाद से निटपने के निरोधी उपाय
- *डा. एस.पी. सिंह* ---------- *33*

भारतीय आसूचना तंत्र : विकास एवं चुनौतियां
- *डा. सुरेंद्र कटारिया* ---------- *36*

पुलिस सुधार : एक अंतहीन कथा
- *डा. दीप्ति श्रीवास्तव* ---------- *43*

आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका
- *डा. (श्रीमती) अनुपम शर्मा* ---------- *49*

भारतीय समाज में महिला अपराध एवं पुलिस की भूमिका
- *डा. सुनीता मीणा* ---------- *53*

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

कवर डिजायन : राहुल कुमार

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : ओम प्रकाशन, डी-46, विवेक विहार (भूतल), दिल्ली-110095

परिवार परामर्श केंद्र : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डा. दिवाकर सिंह राजपूत
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र एवं समाज—कार्य विभाग,
डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
डा. शुमायला कुरैशी
नरसिंहपुर (म.प्र.)

"परिवार परामर्श केंद्र द्वारा टूटते परिवारों को एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है एवं इस हेतु केंद्र में सलाह देने के लिए समाजसेवकों, वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों एवं समाजसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है।"[1] इनके द्वारा टूटने के कगार पर खड़े परिवारों को परामर्श के द्वारा टूटने से बचाने का प्रयास किया जाता है।

पारिवारिक सलाहकार केंद्रों द्वारा अन्य पारिवारिक समस्याओं जैसे दहेज के लिए मारपीट करना, घरेलू बातों को लेकर झगड़े आदि को भी सुलझाया जा रहा है। कुछ प्रकरणों में पारिवारिक सलाहकारों ने सूझबूझ से समस्याओं का हल निकाला है।

परिवार परामर्श केंद्र की आवधारणा

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अत्याचारों की घटनाओं और परिवार में मतभेद और असमायोजन की समस्या निश्चित रूप से चिंता का विषय है, इस समस्या के मूल में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण हैं। दंपतियों और परिवारों को टूटने से बचाने तथा विशेषरूप से परिवार और समग्र समाज में सद्भावना बढ़ाकर समाज के ताने-बाने को सशक्त बनाने के उद्देश्य से परिवार परामर्श केंद्र की योजना बनाई गई है। ससुराल से थाने पहुंचने पर परिवार की टूटने की स्थिति में उसके पास कहीं जगह नहीं होती, उस समय परिवार परामर्श केंद्र उसे मानसिक रूप से सबल बनाकर उसे पुनः आत्मबल देने का प्रयास करता है एवं ससुराल में भी उसे आत्म-सम्मान मिले, यह प्रयास करता है।

परिवार परामर्श केंद्र का लक्ष्य

1. पारिवारिक विघटन को रोकना।
2. संयुक्त परिवार प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु।
3. महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास।
4. परिवार में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु।
5. महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु प्रयास करना।
6. महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
7. महिलाओं को आर्थिक मितव्ययता एवं कम समय में न्याय दिलाकर कानून की लंबी प्रक्रिया से बचाने हेतु प्रयास करना।
8. परिवार को जोड़ने का प्रयास आदि। यदि यह संभव नहीं हो तो दोनों पक्ष एक-दूसरे से प्रेम से अलग हो जाएं।

परामर्शदाता विधिक सलाहकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी

परामर्शदाता

परिवार परामर्श केंद्र में परामर्शदात्री का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। परामर्श केंद्र में आने पर आवेदक के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार कर उसे धैर्य बंधाने का प्रयास करना एवं उसकी समस्या को विस्तृत रूप से सुनना ताकि उसका आधा बोझ कम हो जाए।

आवेदनकर्ता की समस्या परिवार परामर्श केंद्र में दर्ज करना। पुलिस के नोटिस से दी गई तिथि पर जब दूसरा पक्ष आता है तो पुनः आवेदक से पहले बातचीत करना। अकेले में भी अनावेदक से क्या चाहता है, उसे उससे क्या-क्या शिकायत है, इसकी जानकारी लेना, तत्पश्चात अनावेदक से अकेले में बात करना। धैर्यपूर्वक सुनना। पुनः दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठाकर बातचीत करना, एक-दसूरे की समस्याओं को उनके सामने रखना एवं निदान उन्हीं से निकलवाने का प्रयास करना, दोनों पक्षों को खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना, कभी भी किसी पक्ष को हीनभावना महसूस न करने देना, कार्यालय की जो भी प्रक्रिया हो उसका स्पष्ट होना भी आवश्यक है ताकि दोनों पक्ष उसे अच्छी तरह समझ लें।

महिला पुलिस थाना

वर्तमान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण से उन्हें मुक्ति दिलाने एवं अधिक-से-अधिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से शासन द्वारा महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई है।

देश का प्रथम महिला पुलिस थाना केरल राज्य में खोला गया। भोपाल स्थित महिला पुलिस थाना देश का द्वितीय एवं म.प्र. का प्रथम महिला पुलिस थाना है। इसकी स्थापना दिनांक 10.8.87 को महामहिम राज्यपाल श्री के.एम. चांडी जी के कर-कमलों द्वारा की गई थी। इस थाने की सफलता को देखते हुए शासन द्वारा प्रदेश के अन्य कई शहरों में भी महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई। इसी क्रम में नरसिंहपुर शहर में महिला थाने की स्थापना की गई। यहां महिलाओं की प्रताड़ना से संबंधित समस्त प्रकार के मामलों को हल किया जाता है।

"महिला थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शालीनता एवं लज्जाशीलता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पूर्व में महिलाएं अपने संकोची व्यवहार के कारण अन्य थानों में रिपोर्ट करने जाने में संकोच करती थीं, किंतु आज महिला पुलिस थानों की स्थापना से महिलाओं की विचारधारा में परिवर्तन आया है और अब वह बिना किसी संकोच के अपनी व्यथा महिला पुलिस अधिकारी से कह सकती हैं।"[2]

दूसरी ओर कई बार देखा गया है कि महिलाएं अधिक-से-अधिक संख्या में सामाजिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों में भाग लेती हैं और उससे उपजे अनेक आंदोलनों में से महिला पुलिस कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ जाती है। रैलियों एवं आंदोलनों के आयोजकों द्वारा जानबूझकर महिलाओं को आगे रखा जाता है, ताकि उनकी आड़ में वे उग्रवादी कार्रवाई पर परदा डाल सकें। ऐसी स्थिति में पुलिसकर्मियों का कार्य कठिन हो जाता है कि वे महिलाओं के विरुद्ध बल प्रयोग से भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके अलावा दहेज विरोधी अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार महिला अधिनियम, बाल अधिनियम जैसे सामाजिक अधिनियमों एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई। इसके साथ ही अदालत तक उन्हें ले जाने, हिरासत में उनकी निगरानी करने में वे बहुत सक्रिय भूमिका अदा करती है। महिलाओं की बैठकों, जुलूसों, सभाओं तथा महिलाओं की व्यक्तिगत तलाशी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर उनके मार्गदर्शन आदि में भी उनकी आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता है।

परिवार परामर्श केंद्र

समय के साथ शासन द्वारा राज्य में प्रत्येक महिला थाने में एक पारिवारिक सलाहकार केंद्र खोला गया है। "केंद्र में सलाह हेतु समाजसेवकों, वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है, जिससे टूटते हुए परिवारों को एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।"[3] देखा गया है कि छोटी-छोटी पारिवारिक समस्याएं समय

पर हल न हो पाने के कारण बढ़ती चली जाती हैं और फिर एक दिन सुलह के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इनके समाधान हेतु परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना की गई। गत एक वर्ष में केंद्रों की सफलता एवं लोकप्रियता को देखते हुए अब हर जिले में इन्हें खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस कल्याण कार्य से पुलिस बल की छवि में एक नया सुधार आया है।

महिलाओं पर ससुराल में तरह-तरह के अत्याचार घटित होते हैं। फिर भी महिलाएं तब तक थाने में आवेदन करने नहीं आतीं जब तक कि प्रताड़ना गंभीर रूप धारण नहीं कर लेती एवं जब इस प्रकार की प्रताड़ना का आवेदन प्रताड़ित द्वारा थाने में किया जाता है तो आपसी समझौते के सभी द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं एवं परिवार का विघटन सुनिश्चित हो जाता है। ऐसी समस्याओं को गंभीर रूप धारण करने से रोकने के लिए एवं उन्हें आपसी समझाइश द्वारा पुनः स्थापित होने को प्रेरित किया जाता है। इससे परिवार का विघटन होने से बचाव हो जाता है एवं परिवार रूपी संस्था को व्यवस्थित होने में सहायक सिद्ध होता है।

मध्य प्रदेश शासन ने परिवार परामर्श केंद्र की उपयोगिता एवं अन्य राज्यों में इसकी सफलता को देखते हुए प्रदेश के कुछ शहरों में सर्वप्रथम उन्हें महिला थाने के अंतर्गत प्रारंभ करने का निर्णय लिया एवं इसका समन्वयन सन् 1995 में संभव हो सका।

समाज की एक आधारभूत एवं सार्वभौमिक संस्था है—परिवार। इसको समाज का केंद्रक भी कहा जाता है। वर्तमान समय में इसका स्वरूप विघटित होता जा रहा है। एक शोध के अनुसार अमेरिका, इग्लैंड एवं जर्मन जैसे समृद्धशाली देशों में सर्वाधिक तलाक के केस सामने आए हैं। वहां का पारिवारिक जीवन दिन-प्रतिदिन टूटता जा रहा है। यह तथ्य और भी चौंकाने वाला है कि इन देशों में जैसे-जैसे समृद्धि बढ़ी है, उसी अनुपात में तलाक की संख्याओं में भी अभिवृद्धि हुई है। पारिवारिक विघटन ने सर्वप्रथम अमेरिकी शासन एवं वहां की समाजसेवी संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया, उन्हें एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जो कि सलाह एवं मनोवैज्ञानिक दबाव को डालकर पति-पत्नी दोनों पक्षों में समझाइश के द्वारा उनमें तलाक की संभावना को कम करें या समाप्त करें।

सर्वप्रथम वहां के अशासकीय संगठनों एवं समाजसेवी संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में प्रयास किए गए एवं एक समिति का निर्माण किया गया जिसमें कि एक मनोवैज्ञानिक एवं कुछ समाजसेवी रहते थे, जो कि परामर्श के माध्यम से तलाकों के प्रकरणों को सुलझाने का प्रयास किया करते थे।

अमेरिकी समाज में सलाह केंद्रों के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए, विश्व के अन्य देशों—जर्मनी, इग्लैंड, फ्रांस ने भी इस ओर कदम उठाए। वहां पर भी इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिवार परामर्श केंद्रों की आवश्यकता सर्वप्रथम मुंबई एवं दिल्ली जैसे महानगरों में पड़ी। जैसे-जैसे इन महानगरों में समृद्धि बढ़ी, उसी अनुपात में तलाक की घटनाओं में वृद्धि हुई। दांपत्य जीवन एवं परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने का आधार है स्नेह, सद्भाव, सत्कार, सेवा एवं प्यार, जिनके कारण अभावों में रहते हुए भी जीवन पर्यंत पति-पत्नी एक-दूसरे से आबद्ध रहते हैं और कभी भी एक-दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। आधुनिकता का अंधानुकरण करने के कारण भारत के महानगरों में भी तलाक के प्रकरणों में अत्यधिक तेजी हुई है। इसकी गंभीरता को देखते हुए शासन एवं समाज सेवी संस्थानों की सहायता द्वारा सर्वप्रथम मुंबई शहर में इसकी स्थापना की गई। देश के कई महानगरों में इसकी स्थापना की गई, जिनके परिणाम संतोषजनक प्राप्त हुए।

मुंबई एवं दिल्ली में इनकी सफलता को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी इसको खोले जाने का विचार हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दिनांक 05.05.1995 को

पुलिस मुख्यालय में जोनल पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक में महिलाओं पर ससुराल में तरह-तरह के अत्याचार होने एवं पीड़ित महिलाओं का थाने में प्रतिवेदन हेतु उपस्थित न होना एवं ऐसे प्रकरणों से तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे प्रकरणों को रोकने के लिए पारिवारिक सलाह केंद्रों की स्थापना पर सुझाव दिए गए। मुंबई एवं दिल्ली जैसे महानगरों में इन केंद्रों की सफलता को देखते हुए सभी अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए शीघ्र अमल में लाने की स्वीकृति प्रदान की।

इसके परिणामस्वरूप आदेश क्रमांक अजाक-95 के अनुसार प्रथम चरण में मध्य प्रदेश एवं वर्तमान छत्तीसगढ़ के कई नगरों जैसे—भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, रतलाम, सागर, दुर्ग, रीवा, उज्जैन एवं सतना में पारिवारिक सलाह केंद्रों को खोलने बाबत आदेश पारित किया गया।

उद्देश्य

भारत जैसे पिछड़े देश में अभी भी पुरुष प्रधान समाज का पूर्ण वर्चस्व स्थापित है तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की सभी आयु-वर्ग की महिलाओं पर निरंतर अत्याचार एवं भेदभाव हो रहा है। महिलाओं के संरक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि महिलाओं की समस्याओं के विभिन्न पक्षों का समाधान निकाला जाए। वर्ष 1995 के बीजिंग अधिवेशन में महिलाओं की समस्याओं की ओर विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट किया गया।

1. महिलाओं के ऊपर होनेवाले अत्याचार जो आपराधिक सीमा में आते हैं, उनके निराकरण के लिए विधि प्रवर्तन अभिकरणों को प्रभावशील बनाने की आवश्यकता है तथा उसके साथ-ही-साथ उन्हें अधिक संवेदनशील बनाया जाना भी परम आवश्यक है। महिलाओं पर अत्याचार के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां कानून एवं न्यायालयों से भी समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। इस प्रकार के अत्याचार को समाप्त करने के लिए समाज की ओर से साहसिक पहल की आवश्यकता है। इन्ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त स्थापना के अन्य उद्देश्य निम्न हैं।[8]

महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार उनके परिवारजन ही करते हैं। हत्या, आत्महत्या आदि के प्रकरणों में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिसके परिणाम फिलहाल संतोषप्रद कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संज्ञेय अपराधों में अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जब न्यायालय में प्रकरण चलाया जाता है, तो स्थिति अत्यंत विडंबनापूर्ण हो जाती है। एक ही घर में रहने वाले, आवेदिका और अभियुक्तों को एक ही प्रकरण में बुलाए जाने के कारण ऐसे परिवार पूर्णतः विघटित हो जाते हैं, जिसकी सजा अंतिम रूप से केवल बच्चों को ही मिलती है। यदि अभियुक्तों को सजा भी हो जाए तो भी हानि पूरे परिवार को होती है। अनेक पीड़ित महिलाएं इस विडंबनापूर्ण स्थिति से पूर्णतः अवगत हैं तथा इस कारण अत्याचारों को सहते हुए भी संज्ञेय अपराधों की सूचना थाने पर नहीं देती हैं। इस स्थिति से बचाव के लिए परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना की गई।

2. अनेक अपराध जिनका सामना महिलाओं को अपने घरों में करना पड़ता है, वे संज्ञेय हैं। ऐसे मामलों में यदि साहस करके महिलाएं थाने पर आती हैं, तो उन्हें एक अदद चैक काटकर न्यायालय में जाने की हास्यास्पद समझाइश पुलिस द्वारा दी जाती है। चूंकि महिला स्वयं अपने परिवार के विरुद्ध शिकायत कर रही है, इसलिए उसे न्यायालय जाने के लिए आवश्यक साधनों का अभाव रहता है। ऐसे असंज्ञेय प्रकरणों के निराकरण हेतु परामर्श प्रक्रिया ही सर्वोत्तम माध्यम है।

3. पीड़िता पुलिस तथा न्यायालय इत्यादि से बचने का प्रयास करती है, क्योंकि प्रथम तो यह कि उसे कानूनी प्रावधानों का ज्ञान नहीं होता है, दूसरे ज्ञान होने

के उपरांत भी इतना सामाजिक साहस एकत्र करना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। इस समस्या के समाधान हेतु परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना की गई।

4. पारिवारिक कलह, शराबखोरी आदि के कारण होनेवाले महिला उत्पीड़न का हल कानूनी माध्यम से संभव इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि मूलतः ये समस्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक शराबखोरी के कारण अधिकांश प्रकरणों में महिलाओं का उत्पीड़न होता है। शराबखोरी रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से परामर्श दिया जाना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त भी इस संस्था द्वारा परिवार के सदस्यों में स्नेह, सौजन्य, सहयोग, सद्भाव की भावना को परामर्श की सहायता द्वारा विकसित किया जा सकता है।

कार्यप्रणाली

किसी भी पीड़ित महिला को अपनी समस्याओं को लेकर परिवार परामर्श केंद्र पर पहुंचने पर परामर्श केंद्र का कार्य प्रारंभ हो जाता है।[9] पीड़ित महिला निम्न में से किसी भी तरीके द्वारा परामर्श केंद्र पहुंच सकती है :–

1. व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ऐसे केंद्रों के संबंध में जानकारी रखती हैं तथा पीड़ित कभी-कभी सीधे परामर्श केंद्र पर समस्या लेकर पहुंचती है।

2. समीप के सभी थानों को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीड़ित महिला थाने पर किसी असंज्ञेय अपराध के संबंध में शिकायत करने पहुंचती है, तो उसे निकट के परामर्श केंद्र पर भेजा जाए।

3. अनेक बार पीड़ित महिला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होती है तथा उनके द्वारा परामर्श केंद्र जाने की समझाइश दी जाती है।

4. कभी-कभी पीड़ित महिला सीधे स्वयंसेवकों या परामर्शदाताओं से संपर्क करती है, तो वे उसे परामर्श केंद्र पर उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

जब कोई पीड़ित महिला परामर्श केंद्र पर पहुंचती है, तो वहां पर उपस्थित महिला पीड़ित महिला से संबंधित शिकायत वहां पर रखे रजिस्टर में अंकित करती है। केंद्र पर उपस्थित महिला परामर्शदात्री इसके उपरांत उस महिला की समस्याओं को पूरे विस्तार के साथ सुनती है, जिसमें सुनने की सभी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। समस्या समझने के उपरांत परामर्शदात्री द्वारा महिला कर्मचारी (आरक्षक) को पीड़ित महिला पर अत्याचार करनेवाले उसके पति व ससुरालवालों को बुलाने के बाबत नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया जाता है। महिला आरक्षक नोटिस जारी कर संबंधित थानों के माध्यम से अनावेदकों को शीघ्र ही नियत तिथि पर केंद्र पर बुलवाती है। नियत तिथि पर अनावेदकों के आने पर परामर्शदात्रियों द्वारा उनसे गहन पूछताछ की जाती है एवं संबंधित समस्या को समझने का प्रयास किया जाता है।

इसके उपरांत मनोवैज्ञानिक विकृतियों को परामर्श के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे परामर्श का अंत अधिकांश पारिवारिक समझौते के रूप में होता है।

यदि किसी कारणवश समझौता संभव नहीं हो पाता है, तो संबंधित महिला को पूर्ण संबंध विच्छेद के लिए परामर्शदात्रियों द्वारा आवश्यक कानूनी सलाह एवं संरक्षण भी दिया जाता है। प्रत्येक प्रकरण के परिणाम को रजिस्टर में अंकित किया जाता है।

जिन प्रकरणों में सफलतापूर्वक समझौते कराए जाते हैं, उनमें समय-समय पर परामर्शदात्रियों द्वारा अनावेदिका के घर जाकर फॉलोअप किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि महिला के परिवार वाले उस पर पुनः अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं।

परिवार परामर्श केंद्र, नरसिंहपुर

1. अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण थाना

नरसिंहपुर के अंतर्गत पुलिस परिवार परामर्श केंद्र का कार्य वर्ष 1996 से शुरू किया गया था। प्रारंभ से मई 2003 तक 1673 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में से अब तक 1343 आवेदनों का निराकरण किया गया। लोगों को न्यायालय में जाने, राजीनामा, स्वेच्छा से अलगाव स्वीकार करने तथा अपराध पंजीबद्ध कराने की सलाह देकर आवेदनों का निराकरण किया गया।

2. परामर्श केंद्र के पदेन अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्यों के रूप में 11 सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

परामर्श केंद्र द्वारा सामाजिक विकास की विभिन्न गतिविधियों सहित सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्य तथा विभिन्न स्वरोजगार मूलक प्रशिक्षण आयोजित कर महिलाओं को लाभान्वित कराया जा रहा है।

नरसिंहपुर जिले में परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना 22.08.1996 में हुई। जिला स्तर पर केवल एक ही परिवार परामर्श केंद्र हैं, जो नरसिंहपुर में स्थित है। इसकी एक उपशाखा गाड़रवाड़ा में है, जो कि गैर पंजीयन है। वर्तमान समय में नरसिंहपुर के परिवार परामर्श केंद्र में 1 प्रभारी परामर्श केंद्र, 3 महिला आरक्षक एवं 1 पुरुष आरक्षक कार्यरत हैं एवं अशासकीय सदस्यों में 11 सदस्य हैं, इन सदस्यों में 1 पुरुष तथा 10 महिलाएं हैं, को शामिल किया गया है। शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों की बैठक प्रत्येक रविवार एवं गुरुवार को होती है।

दिनांक 15 अगस्त, 2010 से गोटेगांव एवं करेली में भी परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है, जिससे कि स्थानीय सदस्यों को नरसिंहपुर स्थित परामर्श केंद्र में आने-जाने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीड़ित अपनी समस्या को वहीं के परामर्श केंद्र में बताकर समाधान कर सकता है।

प्रशासनिक ढांचा

प्रशासनिक ढांचे के तहत परिवार परामर्श केंद्र के लिए कार्य करने वाले, सहयोग करने वाले समस्त कार्यरत शासकीय कर्मचारी आते हैं, जो कि इस केंद्र के संचालन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।"[10]

आवेदकों की समस्याओं को रजिस्टर में अंकित करना, अनावेदकों को परामर्श केंद्र बुलाने हेतु नोटिस जारी करना, उसकी तामील कराना, उनको सूचना पहुंचाना, यदि प्रकरण का हल परामर्श केंद्र द्वारा न हो तो उन्हें संबंधित अन्य संस्थाओं तक पहुंचाना, प्रथम बार उपस्थित आवेदक-अनावेदकगणों को सलाह प्रदान करना, उचित मार्गदर्शन करना आदि कार्य शासकीय कर्मचारियों द्वारा संपन्न कराए जाते हैं।

वर्तमान समय में नरसिंहपुर जिले में कार्यरत परिवार परामर्श केंद्र का प्रशासकीय ढांचा इस प्रकार है :—

वर्तमान प्रशासनिक ढांचा

केंद्र का गठन —22.08.1996

परिवार परामर्श केंद्र रजि. नं. — J.N.-9550/16.02.2000

अध्यक्ष —पुलिस अधीक्षक (पदेन)

सचिव — नगर निरीक्षक (पदेन)

सह सचिव — जिला लोक अभियान अधिकारी (पदेन)

कोषाध्यक्ष —महिला उपनिरीक्षक (पदेन)

सदस्य — महिला सहायक उपनिरीक्षक (पदेन)

महिला परामर्श केंद्र फोन नं. — 07792-231797

सामान्यतः पुलिस अधीक्षक ही प्रत्येक जिले के अनुसार केंद्र के प्रशासनिक ढांचे का प्रमुख होता है। इसके उपरांत महिला थाने की प्रभारी महिला उपनिरीक्षक आती है, उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ पुरुष उपनिरीक्षक को शामिल किया जा सकता है। इसके उपरांत प्रधान आरक्षक का क्रम आता है, जो कि लेखन संबंधी कार्य एवं रिकार्डों की सार संभाल करने का कार्य करता है। इसके उपरांत आरक्षक जो कि इस

संरचना की सबसे छोटी इकाई है, का क्रम आता है।

वर्तमान समय में परिवार परामर्श केंद्र के सहयोग हेतु महिला पुलिस थाने में 04 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 01 प्रभारी परामर्श केंद्र व 01 पुरुष कर्मचारी एवं 02 महिला कर्मचारी हैं, जो कि परिवार परामर्श केंद्र को सक्रिय योगदान प्रदान करते हैं।

विगत पांच वर्षों (2004 से 2008) तक परिवार परामर्श केंद्र में प्रकरणों की संख्या :—

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त आवेदन	समझौते	कानूनी सलाह कोर्ट	निरस्त	स्वैच्छिक संबंध विच्छेद	अपराध पंजीबद्ध	लंबित
1.	2004	292	132	107	46	3	4	-
2.	2005	300	135	80	54	15	16	-
3.	2006	350	170	112	50	10	8	-
4.	2007	448	178	127	114	22	7	-
5.	2008	504	169	89	144	11	8	83
योग		**1894**	**784**	**515**	**408**	**61**	**43**	**83**

शासकीय एवं अशासकीय कर्मचारी :

किसी भी संस्था का महत्व उसके कर्मचारी संगठन पर आधारित होता है। कर्मचारियों का संगठन जितना अधिक सुदृढ़ होगा, संस्था उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण होगी एवं प्रगति करेगी। परिवार परामर्श केंद्र वर्तमान समय में समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परिवार नामक संस्था का विघटन रोकने का कार्य एवं परिवार को बनाए रखने का कार्य करती है। इस कारण भी इसका महत्व बढ़ जाता है। इस संस्था के तहत शासकीय कर्मचारी मिल-जुलकर कार्य करते हैं। इनको इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं :—

क. शासकीय कर्मचारी

ख. अशासकीय कर्मचारी

(क) शासकीय कर्मचारी—वर्तमान समय में नरसिंहपुर जिले में महिला थाने के तहत कार्यरत परिवार परामर्श केंद्र के अंतर्गत कुल 04 शासकीय कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कि संपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं।

1. महिला उपनिरीक्षक - 01 (महिला थाना प्रभारी)

2. वरिष्ठ पुलिस आरक्षक - 01 (पुरुष)

3. महिला आरक्षक - 02

(ख) अशासकीय कर्मचारी—परिवार परामर्श केंद्र के तहत कई समाजसेवी संस्थाओं के सदस्य, अधिवक्ता, मनोवैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक आदि। कई अशासकीय कर्मचारी भी कार्य करते हैं एवं केंद्र के संचालन हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में नरसिंहपुर के परिवार परामर्श केंद्र में 11 अशासकीय सदस्य कार्यरत हैं, जिनमें केवल 01 पुरुष एवं 10 महिलाओं की संख्या है।

संगठन

किसी भी संख्या के महत्व का मूल्यांकन उसके संगठन के द्वारा होता है, अर्थात संगठन जितना अधिक दृढ़ होगा संस्था भी उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण होगी, किंतु यदि संगठन कमजोर होगा तो उस संस्था को कार्य करने में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

शासकीय एवं अशासकीय इकाई परिवार परामर्श

केंद्र के संगठन के अंतर्गत कार्य करती है। संगठन के अशासकीय कर्मचारियों का चयन कुछ निर्धारित योग्यताओं द्वारा होता है, जिसके संबंध में म. प्र. उच्च न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित किया गया है।

आदेश म.प्र. परिवार न्यायालय अधिनियम 2002 के अनुसार[11] अशासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं होंगी जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक विषय के रूप में समाज विज्ञान, मनोविज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि हो और विशेषतः समाज-कार्य, बाल मनोविज्ञान या परिवार संबंधी परामर्श के दो वर्ष का अनुभव हो।

इसके अतिरिक्त परामर्श केंद्र के पास एक अधिवक्ता अर्थात वकील भी होता है, जो कि महिला संबंधी कानूनों की पेचीदगियों को समझने में कुशल होता है।

परिवार परामर्श केंद्र की अशासकीय सहयोगी इकाई के सदस्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, जितने कि शासकीय सदस्य। अशासकीय इकाई के सदस्य भी संगठन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, परिवार परामर्श केंद्र की दोनों इकाइयां मिलकर केंद्र का सफलतापूर्वक संचालन करती हैं।

सहयोगी इकाइयां :

परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना का मूल उद्देश्य परिवार नामक संस्था में विघटन को रोकना एवं परिवार की स्थिति को बनाए रखना है। यह संस्था परिवारों में सुधार लाने का कार्य करती है, जिसके लिए उसे चरणबद्ध कार्यप्रणाली से होकर कार्य करना पड़ता है। इस कार्यप्रणाली में कुछ सहयोगी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाता है, जिनमें कार्य करने में सरलता होती है।

वर्तमान समय में समाज में परिवार के महत्व को देखते हुए इस पर गंभीरता से चिंतन किया जा रहा है कि केंद्र की प्रणाली को अधिक-से-अधिक सरलता किस प्रकार प्रदान की जाए। इस दिशा में कुछ शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिससे वर्तमान समय में केंद्र को कार्य करने में अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता है। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—

(अ) शासकीय संस्थाएं—शासन द्वारा परिवार परामर्श केंद्र के सहयोग के लिए कुछ शासकीय संस्थाओं का सहयोग प्रदान किया गया है जो कि परामर्श केंद्र के अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोगात्मक कार्य करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं :—

पुलिस प्रशासन

पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान किया जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा कई क्षेत्रों में सहयोग प्रदान होता है। जब भी कोई पीड़ित किसी प्रशासकीय अधिकारी या अन्य किसी थाने में परिवार संबंधी समस्याओं को लेकर पहुंचता है, तो उसे परिवार परामर्श केंद्र के संदर्भ में जानकारी दी जाती है एवं महिला थाने में संचालित परिवार परामर्श केंद्र पहुंचने पर उसके द्वारा की जानेवाली शिकायत को वहां उपस्थित रजिस्टर में लिपिबद्ध किया जाता है, तत्पश्चात पीड़ित के परिवारजनों मुख्यतः पति को परामर्श केंद्र में उपस्थित होने के लिए सूचना जारी की जाती है। निराकरण न हो पाने की स्थिति में आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित संस्थाओं की जानकारी प्रदान कराने का कार्य किया जाता है।

जब प्रकरणों का निराकरण परामर्श के माध्यम से नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के मध्य पूर्णतः संबंध विच्छेद हेतु उन्हें परिवार न्यायालय को भेजा जाता है। परिवार न्यायालय इसी दिशा में कार्य करता है।

(ब) अशासकीय संस्थाएं—परिवार परामर्श केंद्र

के कार्य के दौरान कुछ अशासकीय संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त होता है। वर्तमान समय में कई समाज सेवी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, परामर्श केंद्र को सहयोग प्रदान करती हैं। ये समय-समय पर शिविरों का आयोजन कर एवं अन्य प्रचार माध्यमों की सहायता द्वारा परामर्श केंद्र की उपयोगिता एवं जानकारी जनसाधारण में पहुंचाने का कार्य करती हैं। कुछ समाज सेवी परामर्श की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य ऐसी संस्थाएं भी हैं, जो समय-समय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परामर्श केंद्र के कार्यों को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करती हैं।

अधिनियम

किसी भी संस्था का निर्माण कुछ प्रमुख उद्देश्यों के अनुसार होता है एवं कार्य के समय कुछ विशेष अधिनियमों के अंतर्गत कार्य किया जाता है। परिवार परामर्श केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परिवार को बनाए रखना एवं उसमें उत्पन्न विघटन को रोकना है। एवं इसका दूसरा उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति होनेवाले पारिवारिक दुराचार एवं उसकी सुरक्षा करना है। इसके लिए भारतीय दंड विधान (आई.पी.सी.) संहिता के तहत आनेवाले समस्त उपयुक्त प्रावधान लागू किए जाते हैं, जिससे अनावेदकगणों पर मानसिक दबाव बनाने में सहायता प्राप्त होती है। उनमें से प्रमुख हैं :–

1. दहेज प्रतिरोध अधिनियम (1961)
2. बाल विवाह अवरोध अधिनियम (1929)

इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं जिनका संबंध महिलाओं एवं परिवार से होता है एवं जिनके कारण परिवार प्रभावित होता है, भी लागू की जाती है। जिनमें से प्रमुख हैं :—

1. धारा 107 (किसी बात का दुष्प्रेरण)
2. धारा 313 (स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात पारित कराना)
3. धारा 374 (विधि विरूद्ध अनिवार्य श्रम)

महिलाओं को कानूनी अधिकार

भारत का संविधान और महिलाएं—हमारा संविधान भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रदान करने की मंशा की घोषणा करता है। हमारे देश के सभी कानून हमारे संविधान द्वारा अधिकृत होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक न्याय दो तरीकों से लागू किया है।

1. देश के सभी महिलाओं और पुरुषों को कुछ अधिकार प्रदान करें, इन्हें नागरिकों के मूल अधिकार कहा जाता है।

2. सरकार को कुछ सिद्धांतों को लागू करने के निर्देश देकर उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये अधिकार बहुत ही व्यापक हैं, इन्हें छः श्रेणियों में बांटा गया है :—

1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. शिक्षा और संस्कृति का अधिकार
6. संरक्षण का अधिकार

हमारे देश का संविधान महिलाओं के लिए तीन तरीकों से विशिष्ट मंशा रखता है :—

अ. संविधान महिलाओं और पुरुषों में लैंगिक भेदभाव मिटाने की मंशा रखता है।

ब. संविधान इस बात को तूल देता है कि महिलाओं को पारंपरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है तथा हीन महिला को हीन समझा गया है, इस अन्याय को समाप्त करने के लिए।

स. संविधान सरकार को महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। संविधान निहित रूप से यह आशा रखता है कि सरकार सभी कमजोर वर्गों, जिनमें महिलाएं शामिल हैं की स्थिति

सुधारने के लिए विशेष प्रयत्न करेगी। मूल संवैधानिक अधिकारों में समानता के अधिकार का महिलाओं के विशेष महत्व है। समानता के अनुसार महिलाओं को पुरुषों के साथ :—

1. सार्वजनिक नौकरियों में समान अधिकार है।

2. समान वेतन का अधिकार है।

कामकाजी महिलाओं के अधिकार

हर महिला कहीं-न-कहीं काम करती है, वह घर का काम तो करती ही है। अक्सर वह पैसा कमाने के लिए घर से बाहर भी काम करती है। काम करने वाली महिलाओं को मालूम होना चाहिए कि उनके कुछ मूल अधिकार बनते हैं, ये अधिकार भारत के संविधान में दिए गए हैं, जिन्हें काम में जाने के लिए सरकार ने अलग-अलग कानून बनाकर तय किए हैं।

ये कौन-से अधिकार हैं?

1. काम करनेवाली हर महिला या पुरुष को काम करने के लिए वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए।

2. यह वेतन या तनख्वाह कम-से-कम उतनी होनी चाहिए जितनी सरकार ने तय की है, यानी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए।

3. बराबर के काम के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए यानी एक ही काम के लिए या एक जैसे काम के लिए महिला को पुरुष के बराबर पैसा मिलना चाहिए।

संपत्ति का अधिकार

हमारे संविधान ने भारत की सभी दलित घरेलू महिलाओं की आर्थिक व निम्न स्थिति को देखते हुए संपत्ति के अधिकार दिए हैं तथा वह अपने पति की संपत्ति में बराबर का हक रख सकती हैं, वे अधिकार निम्न हैं :—

1. हर दलित घरेलू महिला को अपने लिए अपने नाम से संपत्ति खरीदने व रखने का अधिकार होगा।

2. कोई महिला, संपत्ति का जो चाहे कर सकती है, चाहे वह संपत्ति उसे मिली हो या उसकी कमाई की हो।

3. हर महिला को यह हक है कि अपनी कमाई के पैसे वह खुद ले।

4. महिलाओं को यह भी अधिकार है कि पुरुषों की तरह वे भी संपत्ति खरीदें या बेचें।

पत्नी को खर्च का अधिकार :

पत्नी को पति से खर्चा लेने का अधिकार होता है। यदि पति पत्नी को खर्चा न दे तो वह अदालत के जरिए पति से खर्चा ले सकती है। यह अधिकार हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिया गया है। यदि पत्नी किसी ठोस कारण से पति से अलग रहती हो तो भी वह पति से खर्चा मांग सकती है। ऐसा ठोस कारण हो सकता है :—

अ. पति ने उसे छोड़ दिया हो।

ब. पति के दुर्व्यवहार से डरकर पत्नी अलग रहने लगी हो।

स. पति को कोढ़ हो।

द. पति ने कोई धर्म अपना लिया हो।

इ. पति का किसी दूसरी औरत से अनैतिक संबंध हो।

परामर्शदात्रियों की नियुक्ति[12]

1. संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची में से किसी व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति की सूचना के अधीन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

2. निम्नलिखित व्यक्ति किसी कार्रवाई में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात :—

1. कोई व्यक्ति जो विवाह की विषय वस्तु में हितबद्ध है या उससे संबद्ध है अथवा पक्षकारों में से किसी एक से या उससे संबंधित है, जो उनका

प्रतिनिधित्व कर चुका है, तब तक जब तक कि सभी पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में ऐसे आदेश का त्याग न कर दिया गया हो।

2. कोई विधिक व्यवसायी जो किसी मामले या किसी अन्य वाद या उससे संबद्ध कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी के लिए पेश हुआ हो।

3. परामर्शदाता जहां तक संभव हो महिला होगी।

परामर्शदाताओं द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया :

1. परामर्शदाता, न्यायालय या संरक्षण अधिकारी या दोनों के साधारण अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

2. परामर्शदाता, व्यथित व्यक्ति या दोनों पक्षकारों की किसी सुविधाजनक स्थान पर बैठक बुलाएंगे।

3. परामर्श के लिए बुलाए गए कारकों के अंतर्गत एक कारक यह भी होगा कि प्रत्यर्थी यह वचनबंध देगा कि वह ऐसी घरेलू हिंसा से जो परिवादी द्वारा शिकायत की गई है, दूर रहेगा और समुचित मामले में वह वचनबंध देगा कि वह मिलने का प्रयास नहीं करेगा या परामर्शदाता के समक्ष परामर्श कार्रवाईयां या सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के आदेश से विधि या आदेश से अनुज्ञेय के सिवाय संसूचना की किसी रीति में पत्र या टेलीफोन, इलेक्ट्रानिक मेल या किसी अन्य माध्यम के द्वारा हो, संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा।

4. परामर्शदाता, परामर्श कार्रवाइयों को यह ध्यान में रखते हुए संचालित करेगा कि परामर्श यह आश्वासन प्राप्त करने की प्रकृति का हो कि घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति न होगी।

5. प्रत्यर्थी उस तथ्य के परामर्श में घरेलू हिंसा के अभिकथित कृत्य के लिए, किसी के प्रति न्यायोचित के लिए, अभिवचन करने के लिए अनुज्ञान नहीं किया जाएगा और प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के कृत्य के लिए कोई न्यायोचित परामर्श कार्रवाइयां, जो कार्रवाइयां प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्यर्थी की जानकारी में होनी चाहिए, के भाग को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

6. प्रत्यर्थी को परामर्शदाता यह वचनबद्ध देगा कि वह व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में ऐसी घरेलू हिंसा करने से अपने को दूर रखेगा और उपयुक्त मामले में यह वचन देगा कि वह परामर्शदाता के समक्ष परामर्श कार्रवाइयों के सिवाय पत्र या टेली फोन द्वारा ऐसी किसी रीति में संसूचना ई-मेल या किसी अन्य माध्यम से मिलने का प्रयास नहीं करेगा।

7. यदि कथित व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा करे, तो परामर्शदाता मामले के समाधान के लिए प्रयास करेगा।

8. परामर्शदाता प्रयासों की सीमित परिधि में व्यथित व्यक्ति की शिकायत को समझेगा और उसकी शिकायत पर उत्तम संभावित समाधान और प्रयास ऐसे समाधानों के लिए निवारणों और उपायों को ध्यान में रखते हुए करेगा।

9. परामर्शदाता, व्यथित व्यक्ति की शिकायत के समाधान के लिए निबंधनों को पुनः निश्चित करने और परामर्श के लिए पक्षकारों द्वारा सुझाए गए उपायों और उपचारों को ध्यान में रखते हुए जो अपेक्षित हो, समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेगा।

10. परामर्शदाता भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या दंड प्रक्रिया से मार्ग दर्होशितगा और उसका उद्देश्य व्यथित व्यक्ति के समाधान प्रदाता के रूप में घरेलू हिंसा को समाप्त करना होगा और परामर्शदाता इस निमित्त ऐसे प्रयास करते समय व्यथित व्यक्ति की इच्छाओं और संवेदनाओं का सम्यक ध्यान रखेगा।

11. परामर्शदाता मजिस्ट्रेट को समुचित कार्रवाई के लिए यथासंभव शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगा।

12. परामर्शदाता विवाद के समाधान पर पहुंचते समय इस समझौते के निबंधनों को अभिलिखित करेगा और उससे पक्षकारों द्वारा पृष्ठांकित कराएगा।

13. न्यायालय समाधान की प्रभावकारिता के बारे

में समाधान हो जाने पर और पक्षकारों से आरंभिक पूछताछ करने के पश्चात तथा ऐसे समाधान के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा के कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोकना, प्रत्यर्थी द्वारा किए जाने की स्वीकार्यता, शर्तों के साथ या बिना निबंधनों को स्वीकार करने के लिए भी है।

14. न्यायालय के परामर्श की रिपोर्ट से समाधान हो जाने पर समझौते के निबंधनों को अभिलिखित करते हुए कोई आदेश पारित करेगा या व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर पक्षकारों को सहमति से समझौते के निबंधनों को उपांतरित करते हुए कोई आदेश पारित करेगा।

15. उन दशाओं में जहां परामर्श कार्रवाइयों पर किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते वहां परामर्शदाता ऐसी कार्रवाइयों के असफल होने की रिपोर्ट न्यायालय को देगा और न्यायालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले में कार्रवाई करेगा।

16. मामले में कार्रवाइयों के अभिलेख साश्वान अभिलेख नहीं समझे जाएंगे, जिनके आधार पर कोई संदर्भ निकाला जा सके या उसके आधार पर केवल आदेश पारित किया जा सकेगा।

17. न्यायालय धारा 25 के अधीन केवल यह समाधान हो जाने पर कि किसी ऐसे आदेश के लिए आवेदन छल, कपट या प्रताड़न या किसी अन्य कारण के द्वारा निष्फल नहीं होगा, आदेश पारित करेगा और उस आदेश के ऐसे समाधान के लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया कोई वचनबंध या प्रतिभूति भी हो सकेगी।

वैयक्तिक अध्ययन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में 200 प्रकरणों में से दैव निदर्शन के द्वारा 5 प्रकरणों को वैयक्तिक अध्ययन के लिए चुना गया है। संबंधित प्रकरणों के अध्ययन का सारांश निम्नानुसार है :—

1. प्रकरण क्र. 01 जिसकी आवेदिका का नाम "अ" है तथा ये 56 वर्ष की हैं इनके पति 64 वर्ष के हैं। पति-पत्नी दोनों की आयु अधिक हो गई है। आवेदिका के पति रिटायर हो चुके हैं। इनके 2 बच्चे हैं। 1 बेटी, 1 बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा काम करता है। पति-पत्नी के मध्य विवाद का कारण बहुत अलग प्रकार का है। पत्नी की समस्या यह है कि इनके पति को क्रिकेट मैच का बहुत शौक है। ये क्रिकेट को शौक के साथ-साथ भावनात्मक रूप से जुड़कर देखते हैं और मैच में जब-जब इंडिया हार जाती है तो इनके पति अपनी पत्नी को बहुत मारते हैं। सारा गुस्सा इनके पति अपनी पत्नी पर उतारते हैं। इसी समस्या से परेशान होकर आवेदक 'अ' ने परिवार परामर्श केंद्र में आवेदन किया तथा परामर्शदात्रियों ने उनके पति को समझाया व उचित समझाइश प्रदान की एवं पत्नी की समस्या का समाधान किया गया। वर्तमान समय में इनका वैवाहिक जीवन सुखमय है।

2. प्रकरण क्र. 2 आवेदिका का नाम 'ब' है। इनकी आयु 35 वर्ष है। इनका विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था एवं एक बेटी 6 वर्ष की है। इनका परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार है। ये हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं। इनके पति थोक विक्रेता की दुकान चलाते हैं। इनके अनुसार इनके वैवाहिक जीवन में तनाव विवाह के 3 साल बाद से ही प्रारंभ हो गया। विवाद का कारण यह था कि इनके पति को अपनी पत्नी पसंद ही नहीं थी। इनके पति ने विवाह केवल परिवारवालों के कहने पर किया, जबकि पति को अपनी पत्नी पसंद ही नहीं है। पति का कहना है कि पत्नी सुंदर नहीं है और वह ऐसी पत्नी के साथ नहीं रह सकता। पति को बहुत समझाया गया किंतु वह नहीं माना। अंततः पति-पत्नी में संबंध-विच्छेद हो गया तथा पति जितना पैसा हर महीने देना तय हुआ था, वह भी नहीं दे रहा था। आवेदिका का कहना है कि अब उसके मायके वाले भी उन्हें रखने को तैयार नहीं हैं। उसके भाइयों को भय है कि यदि उन्होंने अपनी बहन को घर में रहने दिया तो वह

संपत्ति में से हिस्सा मांगेगी। आवेदिका ने बहुत समझाने की कोशिश की परंतु मायके वाले नहीं मान रहे हैं, इसलिए अब वह कानूनी रूप से मायके में रहने की मंजूरी चाहती हैं जिसके लिए वह प्रयास कर रही है। वर्तमान में आवेदिका एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर अपनी और अपनी बेटी की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

3. प्रकरण क्र. 03 आवेदिका का नाम 'स' है। ये मुस्लिम समाज से संबंध रखती हैं। इनका विवाह 1 वर्ष पूर्व हुआ एवं इनके परिवार में केवल पति एवं पत्नी ही हैं। पति कक्षा 8 वीं एवं आवेदिका 10वीं तक पढ़ी हुई है। इनका परिवार एक निम्न वर्गीय परिवार है। इनका पति आटो चलाता है। विवाह के प्रारंभ से ही इनके एवं पति के मध्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आवेदिका पत्नी का कहना है कि उनके पति शक करते हैं, क्योंकि वह अपने पति से अधिक पढ़ी-लिखी एवं बहुत सुंदर हैं इसलिए उन्हें हमेशा यह डर रहता है कि पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। इसी सोच के कारण वह इन पर शक करते रहते हैं। आवेदिका को किसी रिश्तेदार से भी बात नहीं करने देते और न ही मिलने देते हैं। आवेदिका का कहीं आना-जाना भी पसंद नहीं है। इन्हीं कारणों से आवेदिका ने परिवार परामर्श केंद्र में विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन दिया था। परामर्श केंद्र में आवेदक-अनावेदक को बुलाया गया तथा पति को बहुत समझाया गया। पति ने दी गई समझाइश को स्वीकार किया तथा आवेदिका को भी समझाया गया कि वह अपने पति को सुधरने का एक और मौका दें, जिससे उनका वैवाहिक संबंध न टूटे। दोनों ने परिवार परामर्श केंद्र द्वारा दी गई सलाह को मानते हुए एक नए सिरे से अपना जीवन शुरू करने का निर्णय लिया।

4. प्रकरण क्र. 04 आवेदिका का नाम "द" है। ये हिंदू वर्ग से संबंध रखती हैं एवं अनु. जाति के अंतर्गत आती हैं। इनका संयुक्त परिवार है। जिसमें देवर, देवरानी, उनके बच्चे भी रहते हैं। इनके स्वयं के दो बच्चे हैं। पति-मजदूरी करता है इनके विवाद का कारण यह है कि इनके पति का संबंध देवरानी से है। देवरानी एवं इनके पति दोनों एकसाथ रहना चाहते हैं, एक-दूसरे से अलग रहना ही नहीं चाहते। इन्हीं कारणों से आवेदिका, उनके पति, देवर, देवरानी के मध्य समस्या बनी हुई है। देवर का कहना है कि यदि उसकी पत्नी उसके साथ रहने को तैयार है तो वह अपनी पत्नी को सबकुछ भुलाकर स्वीकार कर लेगा। परामर्श केंद्र में सभी पक्षों को समझाइश दी गई तथा यह निर्णय लिया गया कि आवेदिका एवं उनका पति तथा देवर-देवरानी अलग-अलग स्थानों पर रहेंगे। सभी ने परामर्श केंद्र द्वारा दी गई सलाह को माना और वे अलग-अलग स्थानों पर चले गए हैं।

5. प्रकरण क्र. 05 आवेदिका "ई" एक निम्न परिवार से है। यह हिंदू धर्म से संबंधित हैं तथा संयुक्त परिवार में रहती है। इनका विवाह 5 वर्ष पूर्व हुआ था, आवेदिका का पति मजदूरी करता है तथा इनके बच्चे नहीं हैं। आवेदिका की समस्या यह है कि इनके ससुर अपनी बहू यानी कि आवेदिका को अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। जब आवेदिका का पति घर में नहीं होता तब उनके ससुर उनके कमरे में आ जाते हैं तथा गलत बातें करते हैं जिससे वह भयभीत हो जाती हैं। इस बात को उन्होंने अपने पति से भी कहा था परंतु पति ने अनसुना कर दिया। फिर आवेदिका अपनी समस्या परिवार परामर्श केंद्र में लेकर आईं जिसमें अनावेदक (ससुर) को बुलाया गया तथा उसे डांटकर समझाइश दी गई कि यदि वह अपनी बहू से अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। परिवार परामर्श की सहायता से अब वह आवेदिका एक अलग घर में सुखपूर्वक रह रही है।

आंशिक अनुभव

अध्ययन के दौरान एक शोधकर्ता को अलग-अलग बहुत अनुभव होते हैं जिन्हें वह जीवनभर याद

रखता है। प्रस्तुत शोध अनुभव इस प्रकार हैं :—

अध्ययन के दौरान पाया गया कि आज भी स्त्रियों की दशा कुछ मामलों में दयनीय ही है। यदि लड़की का विवाह यह सोचकर कर दिया जाए कि विवाह के बाद लड़की अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करेगी या लड़की के माता-पिता यह सोच लें कि वे अपने कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसी सोच गलत साबित हो जाती है जब वे अपनी बेटी को परेशानियों से घिरा देखते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगती है।

अध्ययन के अंतर्गत देखा गया है कि अधिकतर प्रकरण महिलाओं की समस्या से ही संबंधित होते हैं।

कुछ पीड़ित महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका विवाह के बाद न तो ससुराल में ठिकाना है और न ही मायके में। विवाह के बाद यदि महिला समस्या उत्पन्न होने पर अपने मायके आती है तो मायके वालों को वह एक बोझ लगने लगती है और परिवार वाले उसे रखने में हिचकिचाने लगते हैं। फलस्वरूप पीड़ित महिला मानसिक रूप से टूट जाती है।

पीड़ित महिला की समस्या तब और अधिक बढ़ जाती है यदि उसके बच्चे हों और वे छोटे हों। उसे अपने साथ-साथ अपने बच्चों का पालन-पोषण करने की व्यवस्था करनी होती है। फलस्वरूप वह मजदूरी या अन्य काम-काज शुरू कर देती है।

हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है, स्त्रियों को उनका सही वास्तविक स्थान शायद ही मिले। महिलाएं शिक्षित हों या अशिक्षित, समस्याएं सभी के सामने आती हैं। उनका शोषण किसी-न-किसी रूप में होता ही है।

ग्रामीण महिलाएं जो कि आज भी अनेक क्षेत्रों में पिछड़ी हुई हैं, अपने पर होनेवाले अत्याचारों को सहन करती रहती हैं। शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की भी समस्याएं होती हैं। परंतु वे अपनी जागरूकता के कारण अपने पर होनेवाले अत्याचार को अधिक सहन नहीं करती हैं। ग्रामीण महिलाओं के सामने समस्या अधिक आती है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत कम शिक्षित व अपने अधिकारों के प्रति कम सचेत होती हैं।

अध्ययन के दौरान यह अनुभव किया गया है कि प्रत्येक महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसे आर्थिक रूप से अपने आपको सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक कारण से ही महिला का शोषण अधिक होता है, वह अपने तथा बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए अपने पति या मायके पर आश्रित रहती है और यदि उससे दोनों का सहारा छिन जाए तब वह परेशानियों से घिर जाती है। यदि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो वे अपना जीवन अपने तरीके से व्यतीत कर सकती हैं।

परिवार परामर्श केंद्र द्वारा जिस प्रकार से आवेदक अनावेदक को समझाइश देकर पारिवारिक विघटन को रोकने का प्रयास किया जाता है वह सराहनीय है। यदि परामर्श केंद्र के कर्मचारियों को और अधिक सुविधाएं दी जाएं तो वे वास्तव में अपने कार्य को और अधिक प्रगति पर पहुंचा सकते हैं।

परिवार परामर्श केंद्र महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। परामर्श केंद्र के माध्यम से महिलाएं अपनी समस्याओं को कम करने में सफल रहीं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने पति की आदतों से परेशान रहती हैं किंतु फिर भी वह अपने पति से अलग नहीं होना चाहतीं। ऐसी स्थिति में वे अपना आवेदन परामर्श केंद्र ले जाती हैं और वहां परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों द्वारा अनावेदक (पति) को उचित ढंग से समझाइश दी जाती है। कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर परामर्श केंद्र द्वारा धमकाकर भी कुछ प्रकरणों का निर्णय किया जाता है। पति द्वारा इस प्रकार से पीड़ित महिला की समस्या भी समाप्त हो जाती है और उसका परिवार भी टूटने से बच जाता है।

दरअसल कुछ महिलाएं केवल अपने पति को डराने के लिए ही परिवार परामर्श केंद्र में आवेदन देती

हैं। अध्ययन करने पर भी ज्ञात हुआ है कि पति-पत्नी का संबंध जो एक पवित्र व अटूट बंधन होता है बहुत छोटे-छोटे कारणों से टूटने के कगार पर आ जाते हैं। जबकि एक समझदार पति-पत्नी को चाहिए कि वे अपने विवादों को आगे न बढ़ने दें। उन्हें यह समझना चाहिए कि वे एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है— स्नेह, प्रेम, विश्वास।

संदर्भ सूची :

1. सिन्हा गोपेश कुमार "मध्य प्रदेश पुलिस पत्रिका", वर्ष 42, अंक-02, पृष्ठ-93

2. शर्मा पंडित श्रीराम, "परिवार का मेरुदंड एक सशक्त परिवार तंत्र", संस्करण 01-38, पृष्ठ-427, वर्ष 1998

3. सिन्हा गोपेश कुमार "मध्य प्रदेश पुलिस पत्रिका", वर्ष 42, 1999, अंक-02, पृष्ठ-94

4. www. familycounsellingcenter.org/ date 26.10.10, Page-1

5. www.feemo.org/,26.10.10, Page-1

6. www.familycounsellingcenterbrant.co.

7. www.familycounsellingctr.com/ 26.10.10, Page-1

8. सिन्हा गोपेश कुमार, "मध्यप्रदेश पुलिस पत्रिका", वर्ष-42, 1999, अंक-02, पृष्ठ-90

9. मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल, "महिला अपराध एवं कानूनी प्रावधान", पृष्ठ-286, 2001

10. सिन्हा गोपेश कुमार "मध्य प्रदेश पुलिस पत्रिका", 1995, वर्ष-38, अंक-01, पृष्ठ-25

11. उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश परिवार न्यायालय अधिनियम, 2002

12. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005 एवं नियम, 2006, महिला अधिकार संदर्भ केंद्र (सारिका सिन्हा) http://www.wed.nic.in/ domesticviolence

21वीं शताब्दी में समाज की दृष्टि में पुलिस

डा. एस. अखिलेश
समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश—समाज में पुलिस की छवि अच्छी न होने का कारण यह है कि, पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखने में देरी की जाती है। लोगों की यह धारणा है कि पुलिस थानों में यदि कोई व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उसके साथ पुलिस व्यवहार ठीक नहीं रहता है, साथ ही अनेक प्रश्न आदि कर रिपोर्ट लिखानेवाले व्यक्ति में हताशा पैदा की जाती है। यह स्थिति ग्रामीण अंचलों में कम पढ़े-लिखे व्यक्तियों या अंगूठा छाप व्यक्तियों के मामले में अधिक पाई जाती है।

की-वर्ड-पुलिस, छवि, अतिदुरुपयोग

पुलिस छवि है क्या? क्या यह वह छवि है, जिसको पुलिसकर्मी अपने दर्पण में देखता है या एक अस्थायी इकट्ठे समाज की जनता के विशेष वर्गों द्वारा मानी हुई छवि है? राजनीतिज्ञ, शिक्षाशास्त्री, व्यापारी, छात्र, उद्योगपति, अल्पसंख्यक, श्रमिक तथा समाज के अन्य अंग अपनी ओर से एक व्यापक छवि बना लेते हैं। असंगत, परस्पर विरोध, कर्कश और कभी-कभी श्रोताओं की आकांक्षाओं वाली अनेक छवियों को कैसे लिया जाए? एक तरफ पुलिस के संबंध में ऐसी छवि प्रस्तुत की जाती है, जो मनगढ़ंत, बढ़ी-चढ़ी या कारस्तानियों से युक्त होती है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष का यह कथन पुलिस की छवि को प्रस्तुत करता है, जो उन्होंने आयोग की पहली रिपोर्ट गृहमंत्री को भेजते हुए लिखा था कि जो कुछ हमने देखा तथा सुन रखा है, पुलिस के जालिमाना व्यवहार और ज्यादतियों के खिलाफ जनता द्वारा शिकायतों की उत्तरोत्तर वृद्धि के विषय में हम अत्यधिक दुःखी तथा गंभीरतापूर्वक चिंतित हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि, पुलिस द्वारा अधिकारों के अतिदुरुपयोग को रोकने के वर्तमान प्रबंधों के प्रति और देश की कानून व्यवस्था तथा आपराधिक स्थिति से कारगर रूप से निपटने में पुलिस की दक्षता के प्रति, जनता का विश्वास शीघ्रतापूर्वक उठता जा रहा है।

अध्ययन पद्धति एवं क्षेत्र—इस पृष्ठभूमि में पुलिस की छवि का अध्ययन म.प्र. के हृदयस्थल रीवा जिले में किया गया है। इस शोध अध्ययन में दो अनुसूचियों का निर्माण किया गया है। प्रथम अनुसूची का प्रयोग पुलिस अधिकारियों से साक्षात्कार के लिए तथा द्वितीय अनुसूची का प्रयोग जनता के विभिन्न व्यक्तियों के वर्गों से साक्षात्कार के लिए किया गया है। साक्षात्कार के लिए चयनित पुलिस अधिकारियों का विवरण निम्न तालिकाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है।

चयनित पुलिस अधिकारी

पद	संख्या
राजपत्रित पुलिस अधिकारी	20
निरीक्षक	20
उपनिरीक्षक	20
सहा. उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षक	20
आरक्षक	20

उक्त स्थिति को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

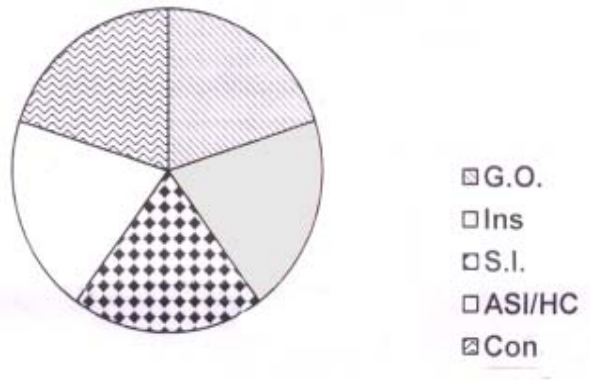

इसी तरह जनता के बीच के 100 व्यक्तियों का निम्नवत चयन किया गया है।

चयनित नागरिक

वर्ग	संख्या
कृषक	20
व्यवसायी	20
जनप्रतिनिधि/ पत्रकार	20
विद्यार्थी	20
सेवारत व्यक्ति	20

उक्त स्थिति को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

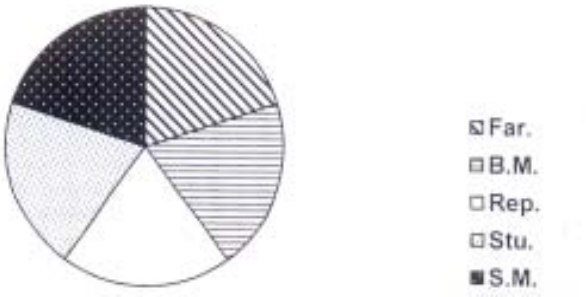

तथ्यों का विश्लेषण—इस तरह इस शोध अध्ययन में पुलिस विभाग तथा जनता के सभी वर्गों के अधिकारियों तथा नागरिकों का साक्षात्कार लिया गया है। पुलिस के अधिकारियों ने साक्षात्कार के दौरान पुलिस की छवि के संबंध में कहा है कि "पुलिस के संबंध में लोगों के मन में एक अजीबो-गरीब विरोधोभास की स्थिति बनी हुई है। एक ओर जहां सामान्य अवसरों पर पुलिसजन की उपस्थिति का कोई स्वागत नहीं करता वहीं दूसरी ओर जब लोग कठिनाई में पड़ते हैं, तब उसकी बड़ी तीव्रता से खोज की जाती है। यहां तक कि समझदार व्यक्ति भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कई बार पुलिस के कार्यों को चाहे वे कितने ही अच्छे उद्देश्य से क्यों न किए गए हों, शक की नजर से देखा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि वे किसी विशेष अभिप्राय या पक्षपात से अथवा दबाव से किए गए हैं।

उक्त पृष्ठभूमि के आधार पर इस शोध अध्ययन में जनता के विभिन्न वर्गों से चयनित उत्तरदाताओं से पुलिस की छवि के संबंध में तथ्य एकत्रित किए गए, जिनका विश्लेषण नीचे किया जा रहा है।

चयनित इकाइयां	पुलिस की छवि		
	अच्छी नहीं है	संतोषजनक	पता नहीं
कृषक	15	04	01
व्यवसायी	15	04	01
जनप्रतिनिधि/पत्रकार	15	05	-
विद्यार्थी	15	03	02
सेवारत व्यक्ति	14	05	01
योग	74	21	05
प्रतिशत	74	21	05

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 74 प्रतिशत व्यक्तियों के विचारों में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है, जबकि 21 प्रतिशत लोगों के अनुसार वह संतोषजनक है तथा 05 प्रतिशत को इसके बारे में पता नहीं है। इस तथ्य को नीचे पाई डायग्राम में प्रस्तुत किया जा रहा है।

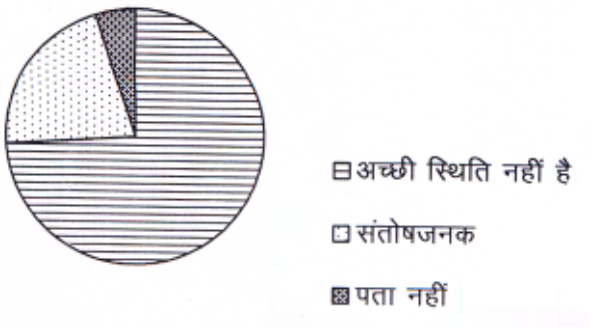

पुलिस की भूमिका से जनता क्यों असंतुष्ट है? वह क्यों यह मानती है कि समाज में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है? इस तथ्य को जानने हेतु साक्षात्कार के दौरान इसके कारण पूछे गए। पुलिस की छवि के संबंध में जनता के बीच व्याप्त उक्त धारणाओं का विश्लेषण यहां किया जा रहा है।

पुलिस धनी और प्रभावशाली लोगों के मामलों में पक्षपात करती है

चयनित इकाइयां	पुलिस धनी और प्रभावशाली लोगों के मामलों में पक्षपात करती है		
	हां	नहीं	पता नहीं
कृषक	17	-	03
व्यवसायी	17	-	03
जनप्रतिनिधि/पत्रकार	12	08	-
विद्यार्थी	17	-	03
सेवारत व्यक्ति	07	09	04
योग	70	17	13
प्रतिशत	70	17	13

उक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि, 70 प्रतिशत जनता यह मानती है कि पुलिस धनी और प्रभावशाली लोगों के मामलों में पक्षपात करती है। इसीलिए उनकी दृष्टि में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। 17 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत नहीं हैं तथा 13 प्रतिशत उत्तरदाता इस प्रश्न के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। स्थिति को दर्शाते हुए यहां पाई डायग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है।

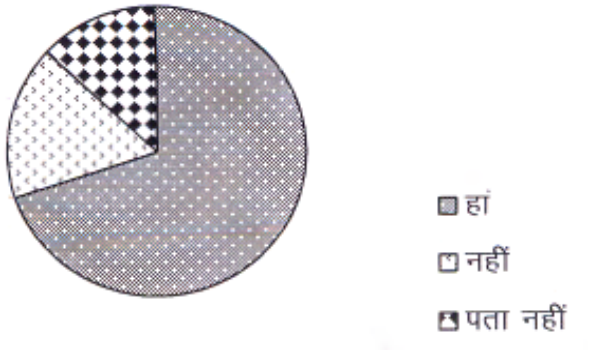

जनता का एक बहुत बड़ा भाग यह मानता है कि, पुलिस अपराधी तत्वों का संरक्षण करती है। इस धारणा के संबंध में प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस अपराधी तत्वों का यदा-कदा संरक्षण करती है

चयनित इकाइयां	पुलिस अपराधी तत्वों का यदा-कदा संरक्षण करती है		
	हां	नहीं	पता नहीं
कृषक	17	03	-
व्यवसायी	17	03	-
जनप्रतिनिधि/पत्रकार	14	06	-
विद्यार्थी	15	03	02
सेवारत व्यक्ति	12	03	05
योग	75	18	07
प्रतिशत	75	18	07

75 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि पुलिस छवि खराब होने का एक कारण यह है कि पुलिस अधिकारी अपराधी तत्वों को संरक्षण प्रदान करते हैं। 18 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से असहमत पाए गए हैं जबकि 07 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट करते हैं, इस स्थिति को डायग्राम में यहां प्रदर्शित किया जा रहा है।

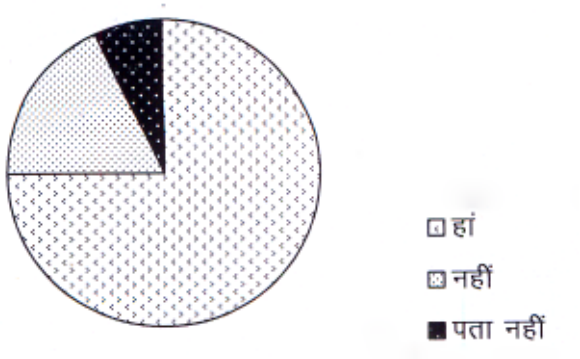

उत्तरदाताओं में से अनेक यह मानते हैं कि, समाज में पुलिस की छवि अच्छी न होने का कारण यह है कि, पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखने में देरी की जाती है। लोगों की यह धारणा है कि, पुलिस थानों में यदि कोई व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उसके साथ पुलिस व्यवहार

ठीक नहीं रहता है, साथ ही अनेक प्रश्न आदि कर रिपोर्ट लिखाने वाले व्यक्ति में हताशा पैदा की जाती है। यह स्थिति ग्रामीण अंचलों में कम पढ़े-लिखे व्यक्तियों या अंगूठा छाप व्यक्तियों के मामले में अधिक पाई जाती है। जनता का यह भी अभिमत है जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि यदि रिपोर्ट समाज के किसी धनी या प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ है, तो पुलिस अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। कभी-कभी सादे कागज में उसकी शिकायत लिख ली जाती है। इस तथ्य का विश्लेषण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखने में देरी करती है

चयनित इकाइयां	पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखने में देरी करती है		
	हां	नहीं	पता नहीं
कृषक	16	03	01
व्यवसायी	16	03	01
जनप्रतिनिधि/पत्रकार	13	07	-
विद्यार्थी	16	03	01
सेवारत व्यक्ति	13	03	04
योग	74	19	07
प्रतिशत	74	19	07

इस अध्ययन में इस तरह 74 प्रति उत्तरदाताओं का अभिमत पाया गया है कि, पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखने में देरी करती है। 19 प्रतिशत उत्तरदाता इससे असहमत और 07 प्रतिशत अनभिज्ञ पाए गए। इस प्रतिशतीय स्थिति को नीचे डायग्राम में दर्शाया जा रहा है।

इसी तरह उत्तरदाताओं का एक भाग यह मानता है

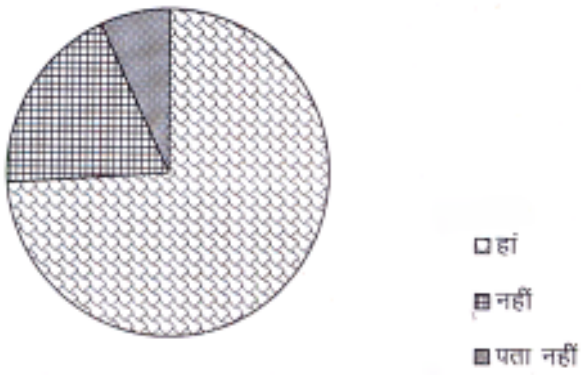

कि, पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करती है। यह तथ्य पुलिस की छवि को धूमिल करता है। इस तथ्य के अभिमत का विश्लेषण नीचे किया जा रहा है।

इस तरह जैसा कि इस शोध अध्ययन के प्रारंभ में इस तथ्य को इंगित किया गया है कि 74 प्रतिशत लोग पुलिस की छवि को अच्छी नहीं मानते हैं। वास्तव में इसका पुलिस थानों में जनता के साथ पुलिस का व्यवहार है।

Sources :

1. Mishra, S.C., Police Image, (2000), ed. Dubey, R.P., Vikassheel Samaj aur Polish Kee Bhumeeka, Services Publishing House, Delhi.

2. Interviews of Police Officers.

3. Interviews of different Class of Society.

4. Dr. S Akhilesh (2002), Police and Society, Radha Krishna Prakashan, New Delhi.

5. Dr. S Akhilesh (2002), Modern India and the Role of Police, Radha Krishna Prakashan, New Delhi.

6. Dr. S Akhilesh (2005), Police Procedure Gayatri Publications, Rewa.

भारतवर्ष में वर्तमान अपराध अन्वेषण और न्याय प्रणाली की समीक्षा

डा. जे.आर. गौड़
भूतपूर्व निदेशक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला शिमला हि. प्र.

बढ़ती अपराध घटनाएं चिंता का विषय

यदि हम निकटतम भूतकाल की बात करें, दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 की गैंगरेप की घटना। तत्पश्चात निरंतर समाचार पत्रों में रिपोर्ट किए जाने वाले, गैंगरेप, हत्या, फिरौती, बिल्डर की हत्या, पुलिस कर्मचारियों पर हो रहे हमले, बच्चों के अपहरण की घटनाएं रोंगटे खड़े कर रही हैं, परंतु आम आदमी रोष व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है और ठगा-सा तथा असहाय महसूस करता है। यही नहीं, श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमला, हैदराबाद में बम धमाके, उत्तर प्रदेश में डी.एस.पी. की हत्या, मध्य प्रदेश में खान माफिया द्वारा पुलिस अधिकारी की हत्या, झारखंड में सुरक्षा बलों पर माओवादियों के हमले और शवों के साथ अमानवीय व्यवहार हर भारतीय नागरिक के लिए चिंता और खेद का विषय है। इसके साथ-साथ अति विशिष्ट व्यक्तियों पर रेप, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी तथा हत्या आदि के मामले दर्ज होने और वर्षों ऐसे मामलों का न्यायालय में लंबित रहकर सजा न मिल पाना समस्या को और भी गंभीर बना देता है। चाहे हम नैना साहनी हत्याकांड की बात करें, निठारी कांड की बात करें अथवा आरुषि हत्या की बात करें, देश के हर भाग से इस प्रकार के अपराध के मामले दर्ज होते हैं, वर्षों न्यायालयों में लंबित रहते हैं, और अपराधी वर्षों बाद साक्ष्यों के अभाव में छूट होते हैं, और पुनः समाज में बेखौफ अपराध करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या हमारी अपराध अन्वेषण तथा न्याय प्रणाली के पास संसाधनों की कमी है? क्या उनके पास आधुनिक तकनीक और ज्ञान का अभाव है? क्या हमारे बनाए गए कानून इस प्रकार के अपराधों को रोकने में सक्षम नहीं हैं और कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है? क्या हमारी सामाजिक रचना में हो रहे गतिशील परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार हैं? हमें सभी बिंदुओं पर समीक्षा करने की आवश्यकता है।

अपराध अन्वेषण और पुलिस

अपराध अन्वेषण का कार्य पुलिस द्वारा पारंपरिक तरीकों से वर्षों से किया जाता रहा है। परंतु, विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ-साथ बीसवीं और इक्कीसवीं सदी में अपराधी वैज्ञानिक तौर तरीके अपना कर अपराध करने लगे, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस का कार्य बहुत चुनौतिपूर्ण हो गया। आधुनिक अपराधी का पता लगाने के लिए अथवा उसकी पहचान करने के लिए जो चुनौतियां आमतौर पर देखने में आती हैं उनका वर्णन इस प्रकार किया जाता है :—

(क) **आवागमन के आधुनिक तेज रफ्तार वाहन :** इनका उपयोग करके अपराधी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं, जिससे पुलिस को उन्हें ढूंढ़ने के लिए अत्यधिक प्रयास करने पड़ते हैं। अपराधी सुरक्षित ठिकाने ढूंढ़कर छुपने में कामयाब हो जाते हैं और पुलिस की पकड़ में नहीं आते।

(ख) **संचार माध्यम :** हमारे संचार के माध्यम इतने विकसित हो गए हैं कि सारा विश्व आज मानो एक गांव में ही परिवर्तित हो गया हो। चाहे हम दूरभाष, सेलफोन,

वायरलेस या सेटेलाइट फोन की बात करें। अपराधी एक दूसरे से तुरंत संपर्क साधते हैं। पुलिस तथा सुरक्षा बलों की संचार प्रणाली को बाधित करने में सक्षम हैं।

अपराधी इंटरनेट का प्रयोग करके संदेश देते हैं। भ्रमित करनेवाले तथा आम जनता को डराने वाले ई-मेल भेजते हैं ताकि आम जनता में खलबली मचे तथा पुलिस और सरकार के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाए और पुलिस तथा सरकार से आम जनता का मोह भंग हो जाए और विश्वास उठ जाए अथवा सरकार को कमजोर किया जा सके।

(ग) **हुलिया परिवर्तन :** आजकल अपराधी विग तथा मुखौटा लगाकर हेयर स्टाइल बदलकर अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो जाते हैं और पुलिस से वर्षों तक लुकाछिपी करते रहते हैं।

(घ) **हस्तलेख और हस्ताक्षर परिवर्तन :** अपराधी अपनी लिखाई और हस्ताक्षर बार-बार बदलते रहते हैं ताकि उनकी पहचान न हो सके और उन्हें पकड़ा न जा सके।

(ड) **शहरीकरण और निवास परिवर्तन :** शहरीकरण एक अति गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें हर आदमी शहरों की ओर भाग रहा है। वह अपना पुराना निवास स्थान बदलकर नए घर में जाकर बस जाता है। पुलिस को चकमा देने के लिए बहुत से अपराधी बड़े-बड़े शहरों में जाकर बस जाते हैं और प्रयास करते हैं कि पुलिस उन्हें पकड़ न सके।

पुलिस की समस्याएं

अपराध अन्वेषण हेतु पुलिस को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका समाधान करना अति आवश्यक है ताकि अपराध अन्वेषण को सुचारू बनाया जा सके। कुछ ऐसी समस्याएं इस प्रकार है :

(क) **पुलिस कार्य बहुउद्देशीय :** पुलिस का कार्य बहुउद्देशीय है। कभी उसे ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है कभी दंगा उत्पात। कभी मेला ड्यूटी देनी पड़ती है तो कभी वी.आई.पी. को पायलट करना पड़ता है। कभी अपराधियों को न्यायालय में पेश करना पड़ता है तो कभी न्यायालय के सम्मन की तामील करवाने पड़ते हैं। कभी यात्रियों के सुरक्षा इंतजाम देखने पड़ते हैं तो कभी वी.आई.पी. की। परंतु अपराध अन्वेषण हेतु पुलिस को बहुत कम समय मिल पाता है। परिणामतः अपराध का अन्वेषण पुलिस के लिए एक कठिन कार्य हो जाता है। पुलिस तुरंत अपराध घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाती है और वहां पर मौजूद भौतिक साक्ष्य वर्षा, बर्फबारी, नमी, वायु, मनुष्यों तथा पशु-पक्षियों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे अपराध अन्वेषण में वांछित सफलता नहीं मिल पाती और अपराधी बच निकलते हैं और पुनः अपराध करना आरंभ कर देते हैं।

(ख) संसाधनों की कमी : यद्यपि सरकार द्वारा पुलिस को पिछले दो दशकों में आधुनिकीकरण हेतु बहुत-सी सुविधाएं दी गई हैं, परंतु फिर भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। चाहे यातायात के साधन हों, हथियार, गोला-बारूद व वैज्ञानिक उपकरण हों, कुछ-न-कुछ त्रुटि ही देखने में आती है। यदि सब उपलब्ध भी हो तो प्रशिक्षण की कमी आगे आती है। यदि यह उसको भी पूरा कर लें तो कार्य करने की मनसा ठीक नहीं है। दूसरी ओर हम सबकुछ होने की बावजूद भी समर्पण और विशेषज्ञता के आधार पर काम नहीं करते। जिसको जिस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया होता है उसको उस कार्य पर लगाया ही नहीं जाता, जहां उसका प्रशिक्षण काम आए। बार-बार किसी पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी का तबादला उसको निष्ठा से कार्य करने का अवसर प्रदान नहीं करता।

(ग) विशेषज्ञ अन्वेषण अधिकारियों की कमी : विज्ञान के इस आधुनिक परिवेश में हम विशेषज्ञता के साथ चल रहे हैं। इसलिए आज अपराध अन्वेषण में विशेषज्ञ, प्रशिक्षित अन्वेषण अधिकारियों की आवश्यकता है। उदाहरणतः कत्ल, बलात्कार, साइबर क्राइम, स्वापक पदार्थों के मामलों के अन्वेषण हेतु

विशेषज्ञ अन्वेषण अधिकारियों की टीम होनी चाहिए, जिन्होंने वर्षों उसी प्रकार का अन्वेषण किया हो और प्रशिक्षण लिया हो।

विज्ञान और तकनीकी का अभूतपूर्व विकास और अपराध अन्वेषण प्रणाली :

बीसवीं सदी में विज्ञान और तकनीकी का अभूतपूर्व विकास हुआ है और इक्कीसवीं सदी में यह निरंतर जारी है, इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं। चाहे हम हरित क्रांति या श्वेत क्रांति की बात करें, चाहे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, दूर संचार क्रांति अथवा स्पेस में जाने की बात करें, चारों ओर विज्ञान और तकनीकी का प्रकाश है। परंतु विज्ञान एक दोधारी तलवार है। इसका यदि रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह वरदान है। यदि विध्वंस के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह अभिशाप है, अर्थात यदि अपराधी विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग अपराध करने हेतु करते हैं तो यह अभिशाप है, यदि पुलिस अपराध अन्वेषण में इसका प्रयोग करती है तो यह एक वरदान है। वस्तुतः यह एक दौड़ है। यदि इसमें अपराधी आगे रहते हैं तो मानवता त्राहि-त्राहि कर उठेगी, यदि इस दौड़ में पुलिस आगे रहती है तो मानवता फलेगी-फूलेगी और उसका विकास होगा।

विज्ञान और तकनीक ने अपराधियों की पहचान तथा अपराध अन्वेषण हेतु हमें आज अंगुलछाप, पदचिह्न, डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग, इमेज एनालिसिस, साइबर फोरेंसिक्स, बायोमिट्रिक्स, अध्यारोपण तथा स्वापक पदार्थ और विस्फोटक पदार्थ परीक्षण तकनीक उपलब्ध करवाई है। इनका उपयोग करके हम निःसंदेह अपराधियों की पहचान कर सकते हैं, उन्हें पकड़ सकते हैं और सजा दिलवा सकते हैं। अतः हमें अन्वेषण के परंपरागत तरीके छोड़कर अनिवार्य रूप से न्यायालयिक विज्ञान के साक्ष्यों पर निर्भर होने की अत्यंत आवश्यकता है।

न्यायालयिक विज्ञान का विस्तार और विकास

यह बात सत्य है कि चश्मदीद गवाह न्यायालय में झूठ बोल सकते हैं परंतु परिस्थितिजन्य परिस्थितियां नहीं। अतः भौतिक अथवा न्यायालयिक विज्ञान की साक्ष्य एक पक्की साक्ष्य होती है जिसको न्यायालय में झुठलाया नहीं जा सकता। इस साक्ष्य को अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष तथा न्यायाधीश सभी देख सकते हैं तथा साक्ष्य का प्रयोग तथाकथित अपराधी को अपराधी साबित करने अथवा उसको दोषमुक्त करने हेतु कर सकते हैं। परंतु यह तभी संभव है जब अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील तथा न्यायाधीश को न्यायालयिक विज्ञान का ज्ञान हो, तभी वह इस साक्ष्य का महत्व जान सकते हैं, अन्यथा स्थिति वही होती है कि यदि एक-दो साल के बच्चे को सेब पहली बार हाथ में पकड़ाया जाए तो वह उसे खाने की बजाए गेंद समझकर फेंक सकता है। यदि बच्चा सेब का स्वाद एक बार चख लेता है तो समझ जाता है कि सेब खाने योग्य वस्तु है फेंकने लायक नहीं। अतः न्यायालयिक साक्ष्य का प्रयोग न्याय प्रणाली और अन्वेषण अधिकारी को अवश्य करना चाहिए। एक छायाचित्र अथवा फोटोग्राफ इतना साक्ष्य दे सकता है जो 2,000 शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता।

आज भारत में लगभग 28 राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं तथा 7 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। जिनमें लगभग 7,000 कुल कर्मचारी तथा 1,200 के लगभग विशेषज्ञ/वैज्ञानिक (जो रिपोर्ट देते हैं और अपराध के मामलों में न्यायालयों में साक्ष्य देते हैं) हैं। परंतु, हमारी 122 करोड़ की आबादी की तुलना में अपराध से जूझ रहे 1200 वैज्ञानिकों का यह आंकड़ा नगण्य है। अपराध के आंकड़ों और जनसंख्या की तुलना में हमें कम-से-कम 2,400 वैज्ञानिक भर्ती करने होंगे यदि हमें अन्वेषण स्तर पर तुरंत न्यायालयिक विज्ञान की रिपोर्ट चाहिए। प्रयोगशालाओं में 60 प्रतिशत वैज्ञानिकों के पद रिक्त पड़े हैं जिन्हें भरने की तुरंत

आवश्यकता है। देश की 80 प्रतिशत न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में लाखों मुकदमे परीक्षण हेतु लंबित हैं जिनमें प्रतिवेदन 6 मास से दो वर्ष तक मिलने की संभावना नहीं है। क्या हम ऐसा करके जनता को अविलंब न्याय दे पाएंगे, वस्तुतः नहीं।

आज देश के हर राज्य में हर पुलिस रेंज में क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला और हर जिले में चलित न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य हर अपराध के मामले में उठाए जा सकें और परीक्षण करके साक्ष्य न्यायालय में दिए जा सकें। देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में अपराध के आंकड़ों और जनसंख्या घनत्व के आधार पर हर पुलिस जिले में एक न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए ताकि अपराध के संगीन मामलों में तुरंत अपराध घटनास्थल का परीक्षण किया जा सके और प्रतिवेदन दिया जा सके। इस प्रकार की प्रणाली को अपनाया जाना अति आवश्यक है तभी अपराध अन्वेषण तथा न्याय प्रणाली को सुचारु बनाया जा सकेगा।

यहां यह भी स्पष्ट करना उचित है कि भारतवर्ष में किसी भी कानून के अंतर्गत किसी गवाह को संरक्षण प्राप्त नहीं है तो आम नागरिक अपना समय बर्बाद करके और अपने जीवन को जोखिम में डालकर न्यायालय में गवाही देने क्यों आएगा? वह पुलिस के कहने पर गवाह क्यों बनेगा जब पुलिस के संबंध आम जनता में मैत्रीपूर्ण नहीं हैं और न्यायालय में गवाह को एक कुर्सी तक उपलब्ध नहीं हो और बार-बार तारीख-दर-तारीख चक्कर काटने पड़ते हैं। अर्थात इस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है।

अपराध के कुछ मामले इस प्रकार के हैं जिनमें न्यायालयिक विज्ञान की रिपोर्ट के बिना आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता जैसे, पैतृत्व और मातृत्व के झगड़े तथा स्वापक पदार्थों के मामले, विस्फोटक और विस्फोट के मामले, विष के मामले, साइबर फोरेंसिक के मामले तथा मानव पहचान के मामले। इन मामलों के परीक्षण और अन्वेषण हेतु न्यायालयिक विज्ञान सुविधाएं होनी अनिवार्य हैं।

इसी प्रकार से हमें न्यायालयिक चिकित्सा विज्ञान की प्रगति और विकास की भी अति आवश्यकता है, जो जनसंख्या अनुपात में नहीं है। एक ओर जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है तो दूसरी और शव परीक्षण केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। शव परीक्षा गृहों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जिसकी मार आम जनता को झेलनी पड़ती है। पोस्टमार्टम समय पर नहीं हो पाते हैं। रिपोर्ट समय पर नहीं मिलती है। अपराध के मामलों के अन्वेषण और अभियोजन पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

अभियोजन प्रणाली

देश के हर राज्य में हमारी अभियोजन प्रणाली भी चुस्त-दुरुस्त नहीं है। एक ओर अभियोजकों की कमी है तो दूसरी ओर उनके प्रशिक्षण की कोई सुचारु व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि जब तक अभियोजन विभाग पुलिस का ही भाग था तो उपयुक्त था। परंतु अभियोजक का पुलिस से अलग होकर निष्पक्ष कार्य करना जनता की नजरों में उपयुक्त है, क्योंकि आम जनता को विश्वास है कि अभियोजक अब पुलिस की बात को नहीं बल्कि सच्चाई को सामने रखकर कार्य करते हैं। अभियोजकों का न्यायालय में कार्यालय का स्थान निर्धारित नहीं है। उन्हें पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। आने-जाने की सरकारी सुविधा का अभाव है। न्यायालयिक विज्ञान तथा अन्य नए विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। अतः उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

न्याय प्रणाली

हमारी न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक मामले को पहुंचने और उस पर अंतिम फैसला होने में

बहुत-से मामलों में 20 और 25 वर्ष का समय लग जाता है, जिससे याचिकाकर्ता को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण हर स्तर पर न्यायालयों में अत्यधिक मामलों का लंबित होना होता है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में भारत में न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, परंतु यह संख्या अपराध के मामलों और जनसंख्या के अनुपात में अभी भी कम है। देश में न्यायिक अकादमी की स्थापना हुई और विभिन्न राज्यों में भी न्यायिक अकादमी खुली है जहां पर न्यायाधीशों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यही नहीं न्यायाधीशों तथा अभियोजकों और पुलिस को न्यायालयिक विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण भी विभिन्न प्रयोगशालाओं और संस्थानों में दिया जा रहा है। न्यायालयिक विज्ञान की सहायता पुलिस और न्यायालय विभिन्न मामलों में लेने पर उत्सुकता दिखा रहे हैं ताकि मामलों का निपटारा जल्दी-से-जल्दी किया जा सके। न्यायालयिक विज्ञान के महत्व का इसी बात से पता चलता है कि कई रेप के मामले हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में एक महीने से भी कम समय में निपटाए जा सके। यही नहीं कई पैतृत्व के झगड़ों का निपटारा, जिनमें अति विशिष्ट व्यक्ति दोषी करार दिए गए, डी.एन.ए. जांच के आधार पर न्यायालयों ने रिकार्ड समय में किया।

इसी प्रकार विस्फोट, ड्रग तथा स्वापक पदार्थ तस्करी के मामलों तथा जंगली जानवरों की त्वचा तथा हड्डियों और हाथीदांत आदि को पहचानने में भी न्यायालयिक विज्ञान प्रतिवेदन न्यायालय में निर्णायक साबित हुई। न्यायालयिक विज्ञान द्वारा सुलझाए गए कुछ मामलों का विवरण पाठकों की जानकारी हेतु इस प्रकार है :—

1. एक बलात्कार के मामले में एक अवयस्क महिला से बलात्कार हुआ। पीड़िता अंधेरे की वजह से अपराधी को नहीं पहचान पाई। चिकित्सा जांच में चिकित्सक ने महिला का योनिस्वाब लिया। पांच संदिग्ध व्यक्तियों के रक्त के सेंपल लिए गए, जिनका डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग करके महिला के योनिस्वाब में पाए गए वीर्य के डी.एन.ए. प्रोफाइल से तुलना की गई। इसके आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों में से अपराधी को पहचाना जा सका।

2. वायुयान क्रैश के एक मामले में वैज्ञानिक जांच की गई। यान में एक राज्य के विशिष्ट व्यक्ति और उनका परिवार यात्रा कर रहा था। वैज्ञानिक आधार पर घटनास्थल की जांच की गई। मलबे में से मिले आल्टीमीटर, दिशा सूचक यंत्र तथा हवाई जहाज के मलबे के परीक्षण और मौसल की जानकारी के अनुसार न्यायालयिक विज्ञान प्राविधियों से विश्लेषण करके पता लगाया जा सका कि वायुयान निर्धारित से कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और क्रैश के समय मौसम खराब होने के कारण निर्धारित दिशा 33 डिग्री उत्तर-पूर्व की बजाए 35 डिग्री उत्तर-पूर्व की दिशा में उड़ा रहा था। इस प्रकार वायुयान दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सका।

3. एक दिन पूजा एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में बम धमाका हुआ। धमाका इतना प्रभावशाली था कि डिब्बे की छत सीटें तथा खिड़कियां बुरी तरह टूट-फूटकर प्रभावित हुईं। घटना में बीस से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 45 से अधिक घायल हुए थे। उसी ट्रेन से उस दिन एक लोकसभा सदस्य भी यात्रा कर रहे थे जो अन्य डिब्बे में थे। प्रभावित डिब्बे को डमटाल रेलवे स्टेशन पर अलग करके खड़ा कर दिया गया और न्यायालयिक विज्ञान टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। वैज्ञानिकों की टीम ने परीक्षण किया और पुनर्रचना की। रेल के डिब्बे में जहां सबसे अधिक जलने और टूट-फूट का प्रभाव था उस स्थान को चिह्नित किया गया। यह स्थान ऊपर की एक वर्थ पर था। इस स्थान के आस-पास बहुत से सेब बिखरे पड़े थे तथा लकड़ी के जले हुए छोटे-छोटे टुकड़े भी मौजूद थे। इन सब पर रासायनिक जांच करने से पता चला कि इन पर विस्फोटक के अंश मौजूद थे। इसी स्थान पर जली हुई तारें और सेल भी मिला। इससे पता चला कि विस्फोटक सेब की पेटी में रखा गया था

जो ऊपर की बर्थ पर रखी हुई थी। विस्फोटक की मात्रा एक किलो से ऊपर रही होगी जैसा कि धमाके के प्रभाव से लग रहा था। विस्फोट रिमोट कंट्रोल से किया गया था। इस प्रकार न्यायालयिक विज्ञान जांच के द्वारा मामले में सही अन्वेषण किया जा सका।

4. एक राज्य में एक छोटे कस्बे में आतंवादियों ने एक विशिष्ट व्यक्ति की कार पर गोलियां चलाईं। विशिष्ट व्यक्ति, उसके अंगरक्षक और कार का चालक मौका पाकर पास खड़े एक ट्रक में चढ़ गए कि जान बचाई जा सके। परंतु आतंवादियों ने कई आग्नेयास्त्रों से गोलियां चलाईं और इन व्यक्तियों को मार डाला। न्यायालयिक विज्ञान विशेषज्ञों ने अपराध घटनास्थल का परीक्षण किया और एक सौ पचास के लगभग खाली कारतूस और गोलियों का परीक्षण करके पता लगाया कि गोलियां चार अग्नेयास्त्रों से चली थीं और यह सब स्वचालित हथियार थे। असलहे की तुलना करके इस मामले में आतंकवादी गिरोह का भी पता लगाया गया था। इस प्रकार न्यायालयिक विज्ञान विशेषज्ञ जांच ने इस मामले के अपराध अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कानून बनाना और कानून संशोधन

यदा कदा देश में नए कानून बनाने और पुराने कानूनों में संशोधन की बात उठती रही है। आवश्यकता के अनुसार नए कानून बनाए भी गए और संशोधन भी किए गए। दूसरी ओर केसला के अनुसार विभिन्न न्यायालयों ने भी जहां कहीं त्रुटि पाई उसे दुरुस्त तथा संशोधित किया। ऐसी ही एक मांग दिल्ली के 16/12/2012 के गैंग रेप मामले में आंदोलन के बाद उठी। वर्मा कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में संशोधन करने को सही ठहराया। तदनुसार संशोधन मामला सरकार के पास विचाराधीन है और जल्दी ही संशोधन हो रहा है।

परंतु प्रश्न उठता है कि क्या केवल कानून बदलने अथवा संशोधन से अपराध होना बंद हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा होना संभव प्रतीत नहीं होता। यदि हम महिलाओं के प्रति अपराध और कानून की ही बात करें तो देखते हैं कि बाल विवाह के विरुद्ध कानून, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कानून, दहेज विरोधी कानून, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून बने परंतु अपराध स्वतः नहीं रुक पाए। आज यदि देश में आवश्यकता है तो कानूनों को अक्षरशः कड़ाई से लागू करने की। जिसके लिए पुलिस, न्याय प्रणाली, सरकार तथा आम जनता सभी को एक-दूसरे के सहयोग से कार्य करना चाहिए तभी अपराधों पर अंकुश लग सकेगा। सभी राजनैतिक पार्टियों को भी पार्टी लाईन से ऊपर उठकर अपराध पर अंकुश लगाने में अपना सहयोग देना होगा तभी हम अपनी वर्तमान अपराध अन्वेषण और न्याय प्रणाली को सुचारु बना पाएंगे।

अपराध अन्वेषण तथा नियंत्रण में जनता का सहयोग

भारतवर्ष में बढ़ते हुए आधुनिक अपराध के मामलों के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1. जनसंख्या वृद्धि
2. लिंग असमानुपातता
3. गरीबी
4. अनपढ़ता
5. शहरीकरण
6. जन स्थानांतरण
7. जनसंख्या घनत्व
8. भूख और महंगाई
9. मौलिक शिक्षा की कमी
10. बिखरते संयुक्त परिवार
11. बिखरती भारतीय संस्कृति और सभ्यता
12. पश्चिमी सभ्यता का समावेश
13. पैसा प्रधान समाज
14. धार्मिक और राजनैतिक कारण

इन सबके लिए भारत का हर नागरिक जिम्मेदार है। सामाजिक सहयोग से इन सब कारणों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जिसके लिए हर भारतीय को दृढ़

निश्चय से राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। अपराधी, पुलिस, अभियोजक, अधिवक्ता, न्यायाधीश तथा नेता सभी भारतीय समाज से ही आते हैं। हमें अपराध मुक्त समाज की छवि ध्यान में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है। स्वयं अपराध न करें। अपने बच्चों के लिए प्रथम शिक्षा संस्थान परिवार होता है। अतः बच्चों को अपराधी न बनने की शिक्षा परिवार से शुरू होती है। समाज तथा न्यायप्रणाली की भूमिका बाद में आती है।

आज टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि ने दुनिया को एक गांव में परिवर्तित कर दिया है, परंतु आधुनिक पीढ़ी को पाश्चात्य सभ्यता की और धकेल दिया है। हमें निरंतर अपने बच्चों को पाश्चात्य सभ्यता न अपनाकर भारतीय संस्कृति को बचाने की ओर प्रेरित करना चाहिए।

अपराध करनेवाले व्यक्ति की सूचना पुलिस को देना, अपराधी की पहचान हेतु पुलिस को सहयोग देना हमारा कर्तव्य है। न्यायालय में साक्ष्य देना, अपराधी को सजा दिलवाना हमारा कर्तव्य है। हम अपनी अपराध अन्वेषण और न्याय प्रणाली को तभी सुचारु बना सकते हैं, यदि हम भारतीय नागरिक उसमें सहयोग दें। हमारे देश में कभी कहा जाता था :—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्र देवता।

अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। अतः हमें देश में हर नारी को सम्मान देना चाहिए ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और उनके प्रति हो रहे अपराधों को बढ़ावा न मिले। इसी प्रकार जनता के सहयोग से हम बाल अपराध तथा अन्य हर प्रकार के अपराधों को रोक सकते हैं और अपनी अपराध अन्वेषण और न्याय प्रणाली को सहयोग देकर और सुचारु बना सकते हैं।

संदर्भ

1. जे.डी. शर्मा (1988) विधि विज्ञान एवं विष विज्ञान, दी लॉयरज होम इंदौर (भारत) पृष्ठ 1-455।

2. जे.आर. गौड़ (1992) जलती न वधू, हिम पुलिस पत्रिका, शिमला, अंक 2, पृष्ठ 6-8

3. जे.आर. गौड़ (1992) माता-पिता, संतान की सही पहचान, दैनिक ट्रिब्यून, 11 फरवरी, 1992, चंडीगढ़, पृष्ठ-7।

4. जे.आर. गौड़ (1992) थम सकते हैं अपराध, जनसत्ता 23.6.1992, चंडीगढ़।

5. जे.आर. गौड़ (1994) आधुनिक युग में विज्ञान, समाज, अपराध, कानून तथा न्याय, हिम.पु. पत्रिका शिमला, 8 पृष्ठ 1-4

6. जे.आर. गौड़ (1994) उलझा अन्वेषण सुलझा, पुलिस विज्ञान, वर्ष. 12, अंक 48, पु.अ. एवं वि. ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, पृष्ठ 6-7

आतंकवाद से निपटने के निरोधी उपाय

डा. एस. पी. सिंह
महबुल्ला गंज, कटघर
निकट डिप्टी साहब का अस्पताल
मुरादाबाद (उ.प्र.)

आतंकवाद से लड़ने का दायित्व पुलिस को सौंपा गया है। इस कार्य को पूरा करना या इसमें सफलता प्राप्त करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि एक रणनीति जो आतंकवाद पर काबू पाने में एक जगह सफल रही हो यह जरूरी नहीं कि वही रणनीति दूसरी जगह भी सफल हो या कामयाब हो। आतंकवाद पर जो अध्ययन हुए हैं उन सबका यही निष्कर्ष निकला है कि राजनीति से प्रेरित आतंकवाद को कैसे कम किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के पूर्व रक्षामंत्री विलियम सेबिस्टियन कोहेन का कहना है कि "आतंकवाद के खिलाफ जंग का कोई निश्चित अंत नहीं है। यह किसी छदम युद्ध जैसा है।" जान एफ कैनेडी के शब्दों में "यह एक लंबा और धुंधला संघर्ष है" (हिंदी डेली हिंदुस्तान और इंग्लिश डेली हिंदुस्तान टाइम्स दिनांक 17.11.12 को नई दिल्ली से प्रकाशित) आतंकवाद से लोहा ले रहे अधिकारियों के अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित उपाय आतंकवाद से निपटने में सहायक हो सकते हैं।

1. आतंकवाद के खिलाफ लोगों की मजबूत राय बनाने की जरूरत है। लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि आतंकियों द्वारा असंख्य निर्दोष लोग मारे जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, असंख्य बच्चे अपाहिज हो जाते हैं, वाणिज्य, व्यापार उद्योग धंधे बर्बाद हो जाते हैं, बच्चों की शिक्षा को नुकसान होता है। जब आतंकवाद के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ती है तो पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों को पब्लिक के सहयोग से आतंक विरोधी अभियान चलाने में मदद मिलती है।

2. प्रेस, रेडियो, टेलीविजन का लोगों को आतंकवाद के खिलाफ शिक्षित करने में पूरा सहयोग लिया जाए। बड़े-बड़े शहरों में पोस्टर्स के जरिए, पेम्फलेट के द्वारा, स्थानीय समाचार पत्रों में स्पेशल एड के द्वारा, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके लोगों को बताया जाए कि अगर कोई संदेहात्मक वस्तु या पदार्थ दिखाई दे तो उसके बारे में पुलिस को तुरंत सूचना दें।

3. आतंकवाद के विषय पर समय-समय पर सेमीनार, मीटिंग, जल्से, डिबेट कराएं जिससे कि आतंकवाद के विरुद्ध माहौल बन सके। इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यापारिक और शैक्षिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

4. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद व अलगाववाद से लड़ने की पूरी ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें आधुनिक हथियार भी दिए जाए।

5. पुलिस को आतंकवादियों का मकसद, उनका आपरेशन का तरीका और उनकी योजना की पूरी जानकारी एकत्र करनी चाहिए जिससे कार्रवाई करने में मदद मिल सके।

6. उन संगठनों में घुसपैठ की जाए जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं और पैसा देते हैं।

7. फोन जैमर्स और मोबाइल इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया जाए।

8. आतंकवादियों का डाटाबेस तैयार किया जाए जिसमें आतंकवादियों के बारे में पूरी सूचना हो और उनके अन्य संगठनों के साथ क्या संबंध है, इसका भी उल्लेख हो।

9. उन परिस्थितियों की पहचान की जाए जो कि आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करती।

10. आजकल आई.टी. तकनीक का जमाना है उनकी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट की निगरानी की जाए जो कि प्रोपेगंडा के लिए इस्तेमाल हो रही है, मोटीवेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, विचार-विमर्श के लिए उपयोग हो रही है और चोरी-छिपे सूचनाओं के लिए इस्तेमाल हो रही है।

11. ऐसा नेटवर्क प्राइवेट कंट्रेक्टर्स का बनाया जाए जो कि आतंकवादियों पर नजर रखने में, उनका एनकाउंटर कराने में आपकी मदद कर सके।

12. पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में जो गलतियां की हैं, उनको सुधारा जाए।

13. आतंकवादियों के स्लीपर सेल्स/ मोडयूल्स जो कि समाज के लोगों के बीच छिपे हुए हैं, उनका पता लगाया जाए तथा जो लोग उनको समर्थन देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

14. शहरी आतंकवाद पर काबू पाने के लिए राज्यों के पास अपनी पुलिस कमांडो यूनिट होनी चाहिए।

15. शहरी आतंक घटना के वक्त या होम ग्रोन टेरिज्म के समय विभागों में आपसी तालमेल हो।

16. आतंकवादियों के फोटोग्राफ जो घटना में लिप्त हैं, उनको मीडिया में दे देना चाहिए ताकि लोग पहचान करके उनके बारे में सूचना दे सकें साथ ही कोई निर्दोष आदमी केस में न फंस सकें।

17. धार्मिक स्थलों, प्रभावशाली लोगों के घरों, पावर हाउस, आयल डिपो और विस्तृत रुप से स्थापित संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

18. आतंकवादियों के केस डील में पुलिस ईमानदारी, सच्चाई से समझौता न करें। अपनी ड्यूटी पूरी मुश्तैदी के साथ करें और अपने प्रोफेशन में दृढ़ रहें।

19. आतंकवादी गतिविधियों पर विचार विमर्श के लिए एक टास्क फोर्स बनाए, जिसमें बुद्धिजीवी, पुलिस खुफिया एजेंसी के लोग फौज, सुरक्षा एजेंसी के लोग और जनता के प्रतिनिधि शामिल हों। एक थिंक टैंक भी विकसित किया जा सकता है जो कि आतंकवादी धमकी का उचित विश्लेषण कर सके।

20. पड़ोसी राज्य या जिले में कोई आतंकी घटना हुई है तो उस पर निगरानी रखें। उचित निर्देश अधीनस्थ कर्मचारियों को दें। अपने यहां आतंकी घटना को रोकने के लिए उचित रणनीति बनाए।

21. लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए कम्यूनिटी पुलिसिंग का प्रयोग करें जो कि आजकल पुलिस को अपराध नियंत्रण में आतंकवादी घटनाओं पर काबू पाने में, सूचना एकत्रीकरण में काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है।

22. आतंकवादियों के साथ किसी भी किस्म की न तो कोई डील करे और न ही कोई कन्शेसन दे। चाहे वह ब्लैकमेल करने के लिए किसी भी प्रकार की धमकी दे।

23. आतंकवादी केसों की विवेचना ठीक प्रकार से करे। किसी किस्म की कोई कमी न छोड़े जिससे कि आतंकी कोर्ट में सजा पा सके।

24. आतंकवादियों के खिलाफ सामाजिक और राजनैतिक समर्थन भी प्राप्त करने की कोशिश करें।

25. आपराधिक तत्व जो आतंकवादी संगठनों, ग्रुपों में शामिल होकर आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं उनकी पहचान की जाए तथा उनके खिलाफ कानून के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए।

26. आतंकवादियों को हथियार, मादक पदार्थ, विस्फोटक, बार्डर से आसानी से प्राप्त हो जाता है, इन्हें प्राप्त करने के लिए वह पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं प्रभाव का भी प्रयोग करते हैं, चोरी डकैती, जबरन वसूली को भी अपनाते हैं, विदेशी शक्तियों की भी मदद लेते हैं। इसके लिए बार्डर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है।

27. आतंकवादी, अतिवादी, उग्रवादी संगठनों/ ग्रुपों को जो पैसा देश या विदेश से आता है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उसका उपयोग आतंकी नौजवानों की भर्ती में हथियार खरीदने में, रहने, खाने, संगठन

चलाने, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने में उपयोग होता है।

28. पुलिस द्वारा आतंकवादियों के हाइड आउट का पता लगाया जाए और उसमें खुफिया विभाग व जनता का सहयोग लिया जाए।

29. आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए मुखविरों का सहयोग लेना जरूरी है। इसके लिए कवर लेने की जरूरत है जिससे कि एक्सपोजर न हो सके।

30. आतंकवादियों को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जाती है। इसके लिए पुलिस के कमांडों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

31. अगर किसी आतंकवादी द्वारा किसी का अपहरण कर लिया जाता है तो उसमें पुलिस किसी मध्यस्थ का प्रयोग कर सकती है। यह मध्यस्थ स्थानीय व्यक्ति हो सकता है। जो भाषा, सामाजिक ढांचा एवं भौगोलिक स्थिति से वाकिफ हो। कभी-कभी अपहरणकर्ताओं की पसंद का व्यक्ति भी लाभदायक हो सकता है।

32. समुद्र तटीय क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पोस्टल इंटेलीजेंस यूनिट स्थापित करने की जरूरत है।

33. तटीय क्षेत्रों में थानों और चौकियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। वहां पर पर्याप्त स्टाफ और अन्य साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जिससे कि वह अच्छी तरह अपने क्षेत्र में निगरानी रख सकें।

34. तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको पहचान पत्र बनवाने की जरूरत है जिसमें फोटोग्राफ के साथ-साथ उस व्यक्ति का पूर्ण विवरण हो। मछुवारों व वोट चलानेवालों की भी पहचान-पत्र बनाने की आवश्यकता है।

35. स्थानीय पुलिस के नेवी और कोष्ट गार्ड के साथ समन्वय की आवश्यकता है।

भारतीय आसूचना तंत्र विकास एवं चुनौतियां

डा. सुरेंद्र कटारिया
81/91, नीलगिरी मार्ग
मानसरोवर, जयपुर-20 (राजस्थान)

मानव सभ्यता के उपलब्ध इतिहास में एक भी दौर ऐसा नहीं रहा जब इंटेलीजेंस या आसूचना को महत्त्व नहीं दिया गया हो। गुप्त सूचनाओं तथा जानकारियों को एकत्र करने का यह कार्य प्रत्येक शासक के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता रही है। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई आशातीत उन्नति के पश्चात एक ओर जहां आसूचना तंत्र की प्रभावशीलता एवं व्यापकता नए शिखर छू रही है तो वहीं दूसरी ओर नित्य नए प्रकृति के अपराधों का जन्म हो रहा है तथा अपराधों की दुनिया में उच्च शिक्षित, संभ्रांत घराने के उच्च तकनीकी क्षमता से भरपूर युवाओं का प्रवेश हो रहा है। ऐसे में देश के संपूर्ण आसूचना तंत्र को शीघ्र ही समन्वित, पुनर्गठित तथा नवाचारों से लैस किया जाना जरूरी हो गया है।

भारत का संविधान 'लोक व्यवस्था तथा पुलिस' विषयों को राज्य सूची में समाविष्ट करता है किंतु 'केंद्रीय आसूचना तथा अन्वेषण ब्यूरो' नामक विषय संघ सूची (प्रविष्टि संख्या-8) को प्रदान करता है। एक मिलता-जुलता प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-355 में भी है जो यह प्रावधान करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। स्पष्ट है कि ऐसी सुरक्षा बिना सुदृढ़ आसूचना तंत्र के नहीं हो सकती है। भारत में आसूचना का कार्य मुख्यतः तीन मंत्रालयों यथा गृह, रक्षा तथा वित्त मंत्रालय द्वारा इस हेतु बनी विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित होता है। भला हो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का जिसमें प्रथम बार भारत सरकार ने खुले में 'रा' का अस्तित्व स्वीकारा। अन्यथा सरकार ने अपने किसी भी दस्तावेज में 'रा' का होना स्वीकारा ही नहीं था। साहस तथा निर्भीकता के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है।

आधुनिक भारतीय खुफिया तंत्र का विकास क्रम

प्राचीन काल से ही प्रत्येक राजशाही व्यवस्था में जासूसी की एक सुव्यवस्थित प्रणाली रही है। कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में जासूसी तथा कूटनीति की विशद् व्याख्या की है।

अर्थशास्त्र में पांच प्रकार के स्थायी या संस्था गुप्तचरों का विवरण इस प्रकार दिया गया है—

- **कापार्टक :** गुप्त रहस्य जाने हेतु छात्र या दरिद्र वेश में रहने वाला गुप्तचर।
- **उदास्थित :** बुद्धिमान, पवित्र तथा संन्यासी वेश में रहने वाला गुप्तचर।
- **गृहपतिक :** बुद्धिमान, पवित्र हृदययुक्त तथा निर्धन कृषक वेश में रहनेवाला गुप्तचर।
- **वैदेहक :** बुद्धिमान, पवित्र हृदय एवं गरीब व्यापारी के वेश में रहनेवाला गुप्तचर।
- **तापस :** जीविका के लिए सिर मुंडाए रहनेवाला गुप्तचर।

भ्रमणशील (संचार) गुप्तचर इस प्रकार बताए गए हैं—

- **सत्री :** कलाकार या ज्योतिषी के रूप में रहनेवाला गुप्तचर।
- **तीक्ष्य :** यौद्धा या शूरवीर के रूप में रहनेवाला गुप्तचर।

● **रसद :** क्रूर, आलसी, निर्मोही तथा विष देनेवाला गुप्तचर।

● **परिव्राजिका :** सन्यासी के वेश में रहनेवाला गुप्तचर।

इसी प्रकार की जासूसी व्यवस्थाएं सभी कालों में रही हैं जिनमें विषकन्या भी एक विशिष्ट माध्यम रहा है। आधुनिक भारतीय आसूचना तंत्र का इतिहास 23 दिसंबर, 1887 से शुरू होता है जब ब्रिटिश शासन के दौरान विदेश विभाग के अधीन ठगी एवं डकैती हेतु विशेष शाखा गठित की गई थी। यही विशेष शाखा कालांतर में आसूचना ब्यूरो (आई.बी) में परिवर्तित हुई। जिस ठगी एवं डकैती नियंत्रण शाखा की स्थापना सन 1887 में हुई उसकी नींव सन 1829 में जबलपुर में पुलिस आयुक्त रहते हुए सर विलियम हेनरी स्लीमैन ने रखी। उन्होंने मध्य भारत की सबसे भीषण समस्या अर्थात ठगी एवं डकैती की समाप्ति हेतु खुफिया सूचनाएं तंत्र विकसित करने की वैज्ञानिक दृष्टि विकसित की : तथा ठगों द्वारा प्रयुक्त की जानेवाली कूट भाषा 'रामासी' भी सीखी। नतीजा यह निकला कि सन 1829 से 1837 तक 3266 ठगों को सजा सुनाई गई। इसी मुहिम का नतीजा था कि मध्य भारत का कुख्यात ठग बहराम सन 1840 में फांसी पर लटकाया जा सका। उसने अपने रुमाल से 931 व्यक्तियों के गले घोंटे तथा ठगी की। शनैः-शनैः ठगी की समस्या में कमी आई तथा सन 1841 से 1848 के बीच 514 केस दर्ज हुए तथा सन 1900 तक यह संख्या मात्र 2 रह गई।

सन 1939 में स्लीमैन ने मुरादाबाद में अपना कार्यालय बनाया तथा ठगी के साथ ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, अलवर, आगरा, अवध इत्यादि क्षेत्रों के कुख्यात डकैतों को खुफिया सूचना एकत्र कर मार गिराया या गिरफ्तार कर लिया या आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। इस प्रकार खुफिया तंत्र की सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाले सर विलियम हेनरी स्लीमैन को आधुनिक भारतीय आसूचना तंत्र का पितामह कहा जाता है। स्लीमैन ब्रिटिश भारत के लोकप्रिय अधिकारियों में सम्मिलित हैं। आज भी उनकी स्मृति तथा सम्मान में स्लीमैनाबाद नामक गांव (पूर्व नाम खोका) जबलपुर के पास स्थित है जहां उन्होंने अपने वेतन से स्कूल, सुधारगृह तथा दस्तकार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए थे।

सन 1885 में मेजर जनरल सर चार्ल्स मैक्ग्रेगर को खुफिया विभाग का मुखिया बनाया गया जिन्हें ब्रिटिश भारत में उत्तरी-पश्चिमी भाग में रूसी सेनाओं के संभावित प्रवेश की गुप्तचरी का कार्य दिया गया था।

उन्नीसवीं सदी की सन 1857 की क्रांति तथा सन 1860 के वहाबी आंदोलन इत्यादि के कारण खुफिया तंत्र की व्यवस्थित स्थापना आवश्यक हो गई थी। इसी संदर्भ का एक पत्र व्यवहार मार्च, 1887 से नवंबर, 1887 के मध्य भारत राज्य सचिव (ब्रिटेन) तथा स्थानीय गवर्नर जनरल लार्ड डफरिन के मध्य हुआ और अंतत 23 दिसंबर, 1887 के राज्य सचिव के पत्र क्रमांक 31 के माध्यम से गुप्त तथा राजनीतिक आसूचना के लिए एक केंद्रीय विशेष इकाई की स्थापना की अनुमति जारी कर दी गई। जनवरी, 1888 में इसके मुखिया डी.ई. मैक्कैन बनाए गए जो 16 वर्ष इस पद पर रहे।

सन 1909 में इंग्लैड स्थित भारत कार्यालय में 'इंडियन पॉलीटिकल इंटेलीजेंस' (आई.पी.आई.) शाखा स्थापित की गई जो कि भारत स्थापित खुफिया इकाई से संपर्क रख स्वतंत्रता संग्राम तथा क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखती थी। स्वतंत्रता के समय इन सभी इकाइयों को एकीकृत कर गृह मंत्रालय के अधीन आसूचना ब्यूरो (आई.बी.) नाम दिया गया। इस प्रकार भारतीय आसूचना ब्यूरो को विश्व का सबसे पुराना आधुनिक सरकार खुफिया तंत्र माना जाता है। ब्रिटिश शासन में बहुत-से कार्य सेना तथा सिविल प्रशासन के संयुक्त थे जिन्हें बाद में पृथक किया गया। अप्रैल, 1947 में इंडिया पुलिस (आई.बी.) के टी.जी.

संजीवी पिल्लै इसके (प्रथम भारतीय) निदेशक बने जो कि कुल क्रम में ग्यारहवें मुखिया थे।

आसूचना ब्यूरो

गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत इंटेलीजेंस ब्यूरो या आई.बी. देश के भीतर खुफिया सूचनाएं एकत्र करने का कार्य करती है। लगभग 25 हजार कार्मिकों से युक्त आई.बी. को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की गुप्त सूचनाओं से लेकर सांप्रदायिक, आतंकवाद, घुसपैठ, जाली मुद्रा, विप्लव, वी.आई.पी. सुरक्षा तक सभी प्रकार की ऐसी सूचनाएं एकत्र करनी होती हैं, जो देश की एकता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा तथा समरसता को प्रभावित कर सकती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर नब्बे के दशक तक सोवियत संघ की के.जी.बी. द्वारा प्रशिक्षित होते रहे आई.बी. के अधिकारी देशभर की पुलिस एवं कूटनीतिज्ञों की नजर में सम्मानित स्थान पाते रहे हैं।

वर्ष 2002-03 में आसूचना ब्यूरो में मैक (Multi Agency Centre) अर्थात बहु एजेंसी केंद्र बनाया गया था ताकि आतंकवादियों से संबंधित गोपनीय सूचनाओं को विभिन्न अभिकरणों तक पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में मई, 2010 में नेट ग्रिड (National Intelligence Grid) बनाया गया था ताकि खुफिया तंत्र में समन्वय स्थापित हो सके। जनवरी, 2012 में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र या N.C.T.C की स्थापना का निर्णय लिया गया। कांग्रेसनीत केंद्र सरकार के इस निर्णय का गैर कांग्रेसी सरकारों ने भारी विरोध किया तथा इसे संघवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध माना। विरोध का प्रमुख तर्क यही दिया गया कि एन.सी.टी.सी. को आई.बी. के अधीन क्यों रखा गया है, क्योंकि यह संस्था कहीं भी तलाशी, जांच, गिरफ्तारी जैसे पुलिस कृत्य करेगी। समस्या यह है कि आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को पहचानने, सूचनाएं एकत्र करने, उनको विकसित करने, विश्लेषित करने, धर-पकड़ करने और संबंधित रोकथाम हेतु विशेषीकृत संस्था की जरूरत को राज्य अनावश्यक ही नकार रहे हैं।

अनुसंधान एवं विश्लेषण खंड

रा (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) के नाम से चर्चित यह संगठन भारत का वह आसूचना तंत्र है जो मूलतः देश से बाहर जासूसी करने का कार्य निर्वाहित करता है। सितंबर, 1968 में आर.एन. काव के निर्देशन में गठित 'रा' का उदय तत्कालीन आसूचना ब्यूरो की विफलता तथा कार्यबोझ के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। सन 1962 में चीन तथा सन 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के पश्चात यह अनुभव किया गया कि आसूचना ब्यूरो के पास आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खुफिया कार्य करने दें तथा बाहरी जासूसी हेतु पृथक से एक विशेषीकृत तंत्र ने शीघ्र ही दुनिया में अपनी छाप स्थापित की। इसीलिए आज भी वैश्विक स्तर पर 'रा' के कार्मिक 'काव्जमैन' कहलाते हैं।

आधुनिक तथा पृथक विशेषीकृत स्वरूप में आने से पूर्व आसूचना ब्यूरो की आंतरिक संरचना में सन 1933 में ब्रिटिश शासकों ने एक इकाई बनाई जो भारत की सीमाओं पर जासूसी का दायित्व वहन करती थी जिसे सन 1947 में आसूचना ब्यूरो के प्रथम भारतीय निदेशक संजीवी पिल्लै ने ब्रिटेन की एम.आई.-5 एजेंसी की तर्ज पर इसे ढाला किंतु पूरी सफलता नहीं मिली। लेकिन सन 1968 में 250 कार्मिकों को लेकर आर.एन. काव ने 'रा' की स्थापना का पूरा ब्लूप्रिंट इंदिरा गांधी से स्वीकृत कराया तथा सन 1971 में 'एविएशन रिसर्च सेंटर' (ARC) की स्थापना भी 'रा' के अधीन कराई ताकि भारत की वायु सीमा की सुरक्षित की जा सके। सन 1963 में तिब्बती शरणार्थियों से युक्त 'Establisment-22' नामक जिस गुरिल्ला बल का निर्माण किया गया था वह आज विशेष सीमांत बल (SFF) कहलाता है तथा 'रा' का अभिन्न हिस्सा है। कालांतर में 'रा' के साथ 'रेडियो रिसर्च सेंटर' तथा

'इलेक्ट्रानिक्स एंड टेक्नीकल सर्विसेज' भी सृजित हुए। 'रा' के साथ जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण संगठन है, NTRO।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन सन 2004 से राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) कार्यरत है जो कि तकनीकी क्षेत्र की गुप्त सूचनाओं के एकत्रण तथा उनके अनुसंधान से जुड़ा है। इसमें उपग्रह तथा इंटरनेट आधारित तकनीक से लेकर गुप्त कोड तकनीक (Cryptography) तक का विस्तृत कार्यक्षेत्र है। सन 1999 के कारगिल संघर्ष के बाद बनी 'सुब्रमण्यम समिति' ने इस प्रकार की आसूचनाओं के एकत्रण पर बल दिया था। इस संगठन की रूपरेखा अक्टूबर, 2001 में डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने तैयार की थी।

ऐसा माना गया है कि 'रा' की संरचना तथा कार्यप्रणाली अमेरिका की सी.आई.ए. की तर्ज पर आधारित है तथा 'रा' के निदेशक प्रायः चीन या पाकिस्तान संबंधी रणनीतियों के विशेषज्ञ रहे हैं तथा इनका प्रशिक्षण अमेरिका, ब्रिटेन एवं इजराइल में होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः (अर्थात धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है) के ध्येय वाक्य को लेकर बने 'रा' ने अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाहित की है। केबिनेट सचिवालय के अधीन कार्यरत 'रा' की गोपनीयता एवं कार्यप्रणाली आज भी एक रहस्य मानी जाती है।

खुफिया तंत्र कोई सामान्य विषय या कार्य नहीं है बल्कि इसकी प्रकृति तथा क्षेत्र दोनों ही अंतरविषयी एवं बहुआयामी होते हैं। यही कारण है कि इससे जुड़े अभिकरणों की संख्या भी अत्यधिक है। आई.बी. तथा 'रा' के अतिरिक्त भारत की अन्य प्रमुख आसूचना एजेंसियां इस प्रकार हैं—

1. राजस्व आसूचना निदेशालय
2. केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
3. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
4. प्रवर्तन निदेशालय
5. वैमानिक अनुसंधान केंद्र
6. विशेष शाखा (सी.आई.सी.) अंडमान एवं निकोबार
7. अपराध शाखा सी.आई.डी. सी.बी. दादरा एवं हवेली
8. विशेष शाखा लक्षद्वीप पुलिस
9. भारत वित्तीय आसूचना इकाई
10. राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड
11. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण
12. रक्षा आसूचना अभिकरण
13. संयुक्त साइफर ब्यूरो
14. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन
15. अखिल भारतीय रेडिया प्रबोधन सेवा
16. सिग्नल्स आसूचना निदेशालय
17. वायुसेना आसूचना निदेशालय
18. नौसेना आसूचना निदेशालय
19. आयकर निदेशालय (आसूचना तथा आपराधिक अन्वेषण)
20. महानिदेशक आयकर अन्वेषण
21. राज्य पुलिस विभागों की सी.आई.डी. शाखाएं

उपर्युक्त सभी एजेंसियां किसी-न-किसी प्रकार की खुफिया सूचनाएं एकत्र करती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर एक-दूसरे से समन्वय करती हैं। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) स्वयं आसूचना से जुड़ा प्रत्यक्ष तंत्र नहीं है किंतु राष्ट्रीय रक्षा का यह सर्वोच्च निकाय है।

राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों पर नीतिगत निर्णय लेने तथा विभिन्न क्षेत्रों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए 24 अगस्त, 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता और गृह, रक्षा तथा वित्त मंत्री की सदस्यता में 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' का गठन किया था। परिषद की

प्रथम बैठक 05 अक्टूबर, 1990 को हुई। तत्पश्चात यह परिषद 8 वर्षों तक निष्क्रिय बनी रही। परिषद के साथ 36 सदस्यों का 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड' भी बनाया गया था जिसमें सांसद, शिक्षाविद, सुरक्षा विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिकों को सम्मिलित किया गया था। इस बोर्ड की कभी भी बैठक न हो सकी तथा पी.वी. नरसिम्हाराव सरकार इसके विशाल आकार को लेकर प्रश्नचिह्न लगाती रही। के.सी. पंत की अध्यक्षता में बने कार्यकारी दल की रिपोर्ट के आधार पर सन 1998 में वाजपेयी सरकार ने 19 नवंबर को 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' को पुनर्जीवित तथा परिवर्तित स्वरूप प्रदान किया। वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संरचना इस प्रकार बनाई—

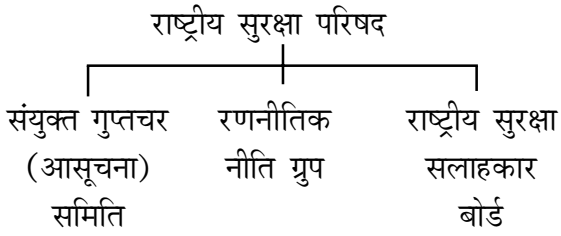

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता तथा गृह, रक्षा, विदेश एवं वित्त मंत्री की सदस्यता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। परिषद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भी इसका सदस्य बनाया गया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बृजेश मिश्र को इस परिषद का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। परिषद की सहायतार्थ तीन अभिकरण बनाए गए जिनमें 'संयुक्त गुप्तचर समिति' को परिषद का सचिवालयी स्वरूप दिया गया। दूसरा अभिकरण 'रणनीतिक नीति ग्रुप' बना जिसमें अंतरमंत्रालय समन्वय स्थापित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिव, सेना के तीन अंगों के प्रमुख, विदेश, गृह, रक्षा, अंतरिक्ष, रक्षा उत्पादन, वित्त, अणु ऊर्जा, राजस्व विभागों के सचिव, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर, इंटेलीजेंस ब्यूरो निदेशक, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, संयुक्त गुप्तचर समिति के अध्यक्ष तथा मंत्रिमंडल सचिवालय की खुफिया शाखा के सचिव को इस ग्रुप का सदस्य बनाया गया। तीसरे अभिकरण के रूप में गैर सरकारी व्यक्तियों से युक्त 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड' गठित किया गया। बोर्ड को बाहरी सुरक्षा, रणनीतिक आकलन, विदेश एवं रक्षा मामले, सैन्य बल, आंतरिक सुरक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी इत्यादि विषयों पर प्रतिमाह बैठक करने तथा सुरक्षा नीति संबंधी विकल्प सुझाने का दायित्व प्रदान किया गया। पाकिस्तान द्वारा कारगिल घुसपैठ के समय 8 जून, 1999 को इस परिषद की बैठक हुई थी। इस घुसपैठ की जांच हेतु के. सुब्रमण्यम समिति (1999) गठित की गई थी। कारगिल संघर्ष (1999) के पश्चात देश में रक्षा प्रशासन सुधार हेतु गंभीर मंथन शुरू हुआ। के. सुब्रमण्यम समिति, मंत्रियों के समूह (GOM) तथा अरुण सिंह कार्य दल की रिपोर्ट के बाद यह मांग उठी कि भारत में चीफ डिफेंस स्टाफ प्रणाली अपनायी जाए तथा सभी खुफिया तंत्रों में समन्वय स्थापित हो।

इसी तरह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी आसूचना के तंत्र से जुड़े बिना अपना कर्तव्य निर्वाहित नहीं कर सकती है।

26 नवंबर, 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के पश्चात भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां (नियंत्रण) अधिनियम, 1967 में संशोधन करते हुए दिसंबर, 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। जनवरी, 2009 में इस एजेंसी के प्रथम महानिदेशक आई.पी.एस. अधिकारी श्री राधा विनोद राजू बनाए गए। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के प्रतिमान पर बनी यह एजेंसी देश में होनेवाली आतंकवादी घटनाओं, राष्ट्र की संप्रभुता एवं एकता को प्रभावित करनेवाली गतिविधियों, बम विस्फोटों, विमानों, जहाजों के अपहरण तथा परमाणु स्थापनाओं पर आक्रमण इत्यादि की जांच करेगी।

चुनौतियां एवं समस्याएं

भारत में कार्यरत विभिन्न सुरक्षा, वित्तीय एवं

कूटनीतिक जासूसी अभिकरणों के विरुद्ध प्रायः मीडिया, राजनीतिक दलों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य कई विश्लेषकों द्वारा कई प्रकार के प्रश्न खड़े किए जाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न इनकी कानूनी वैधता का अभाव तथा फलस्वरूप इनकी संसदीय जवाबदेयता नहीं होना है। फरवरी, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने सेंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस नामक संस्था की जनहित याचिका को स्वीकारते हुए केंद्र सरकार से पूछा था कि आई.बी., 'रा' तथा एन.टी.आर.ओ. को संसद के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं बनाया जा रहा है। सार्वजनिक धन से संचालित होनेवाली संस्थाओं को खुला कैसे छोड़ा जा सकता है? विदेशों में इस प्रकार की संस्थाओं का अंकेक्षण होता है। 'रा' तथा आई.बी. के पूर्व अधिकारियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों में यह तथ्य उभरता है कि इन खुफिया एजेंसियों की संसद एवं जनता के प्रति जवाबदेयता नहीं होने से हजारों करोड़ रुपयों का दुरुपयोग होता है तथा राजनीतिक द्वेष की भावना से भी वे कार्य कराए जाते हैं जिनके लिए इनकी स्थापना नहीं हुई है। अगस्त, 2011 में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया था जिसमें यह प्रावधान दिया गया था कि खुफिया एजेंसियों को संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए किंतु यथार्थ यह है कि भारतीय संसद में सन 1970 के पश्चात एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पारित नहीं हुआ है।

दूसरी बड़ी कमी इन संस्थाओं के मध्य समन्वय की है। संपूर्ण भारतीय प्रशासनिक तंत्र में समन्वय का सिद्धांत रोजाना तार-तार किया जाता है। इसका दुष्परिणाम आंतरिक सुरक्षा के प्रति बनी हुई अविश्वसनीयता अधिक गहरी होती जा रही है। स्वतंत्रता के छः माह के भीतर ही महात्मा गांधी की हत्या से शुरू हुआ सिलसिला अस्सी के दशक के बाद जड़ें जमा गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, शिरोमणी अकाली दल के प्रमुख संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, पूर्व आर्मी चीफ जनरल ए.एस. वैद्य तथा कश्मीर के मीरवाइज मौलवी फारुक की हत्या, पंजाब, कश्मीर का दीर्घकालीन आतंकवादी परिदृश्य तथा देश के 14 राज्यों में फैला नक्सलवाद इन खुफिया संस्थाओं की बड़ी विफलता है। विगत दो दशकों में संसद से लेकर बड़े शहरों तक, मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक तथा होटल से लेकर सभा-सम्मेलनों तक सभी जगह आतंकवादी विस्फोट कर हजारों लोगों की बलि चढ़ा चुके हैं। ऐसे में यह प्रश्न तो उठता ही है कि आसूचना तंत्र की विशालता तथा देश में उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नत उपकरणों के बावजूद हिंसा क्यों नहीं रोकी जा सकती है? क्या कारण है कि हम चीन या पाकिस्तान से नक्सलियों या आतंकवादियों को सहायता सप्लाई नहीं रोक सके हैं?

आतंकवाद तथा नक्सलवाद के प्रसार के साथ आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अन्य प्रमुख मुद्दों में साइबर अपराध और जाली मुद्रा (आर्थिक आतंकवाद) की बढ़ती दखल सम्मिलित है। विडंबना यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी का कानून देश की सीमाओं से बंधा है तथा इंटरनेट का संजाल विश्वव्यापी है। ऐसे में साइबर अपराध रोकने हेतु बाहरी एवं आंतरिक खुफिया एजेंसियों का समन्वय अधिक जरूरी हो जाता है। भारत की खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी कमी यह है कि इनसे जनता का कोई जुड़ाव नहीं है। हां, पुलिस थाना स्तर पर कुछ मुखबिर अवश्य ऐसे कार्य करते हैं किंतु यह पर्याप्त नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आई.बी. या 'रा' की एक ऐसी वेबसाइट हो जिस पर कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण सूचना अपलोड कर सके तथा उसकी पहचान भी गोपनीय रहे। अभी स्थिति यह है कि आई.बी. तथा 'रा' जनता के लिए रहस्य भर हैं तथा राज्यों की पुलिस से एक आम भारतीय भय खाता है। पुलिस के डर से वह खुफिया सूचना देना तो दूर सड़क पर पड़े घायल व्यक्ति तक को अस्पताल नहीं पहुंचाना चाहता है। भ्रष्टाचार की जो स्थिति देश में है उसे देखकर कहा जा सकता है कि खुफिया एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं हैं। चूंकि

इनका लेखा परीक्षण नहीं हो रहा है अतः भ्रष्टाचार की संभावना और भी ज्यादा है। एन.टी.आर.ओ. के पूर्व वैज्ञानिक ने इस संस्था के 800 करोड़ रुपयों के खरीद घोटाले का सन 2012 में खुलासा किया था। खुफिया तंत्र में बेहतर कार्मिकों को लेने के लिए जरूरी है कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में पुलिस विज्ञान के साथ साइबर, कूट लिपि, कूट संदेश, जासूसी तथा अन्य विषयवस्तु भी सम्मिलित की जाए। समय की मांग है कि इन सभी बिंदुओं पर समेकित नीति बनाकर कारगर प्रयास किए जाएं। आखिर मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का है।

पुलिस सुधार : एक अंतहीन कथा

डा. दीप्ति श्रीवास्तव
चित्रांश विला, 289, सैनिक कुंज,
कुडाघाट गोरखपुर उ.प्र. 273008

देश में पुलिस सुधार एक अंतहीन कथा करीब चार दशकों से चर्चा और समितियों आयोगों का दौर। धुल खाती पेश रिपोर्ट नतीजा अब भी अधूरा।

पुलिस

यानी पोलाइट (विनम्र), ओबिडियट (आज्ञाकारी), लायल (निष्ठावान), इंटेलिजेट (बुद्धिमान), करेजियस (साहसी) और ईगर टु हेल्प (सेवा में तत्पर) सामाजिक ताने-बाने में इन गुणों से सुशोभित लोग पुलिस के दायित्व को निभाते रहे हैं। कालांतर में इन दायित्व की आधिकारिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सरकारी महकमे की जरूरत हुई। लिहाजा व्यवस्था में पुलिस तंत्र का सूत्रपात हुआ। तंत्र के नियमन के लिए देश में 1861 में अंग्रेजों ने पुलिस कानून बनाया।

परेशानी

समय बीतता गया। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की भूमिका और जिम्मेदारियों में आमूलचूल परिवर्तन आता गया। लिहाजा विशेष देश, काल और परिस्थितियों में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुलिस कानून अप्रासंगिक होता चला गया। सरकार चेती। सुधार की कवायदें शुरू हुईं। पुलिस का मानवीयकरण और जोर पकड़ता गया। समितियों और आयोगों के गठन की लाइनें लग गईं। इनकी अहम सिफारिशें पुलिसिया तंत्र का चेहरा चमकाने के लिए काफी थीं मगर, अफसोस हमारे नीति नियंताओं ने इनको लागू करने के प्रति संजीदगी नहीं दिखाई। उनको तो जैसे जनता की नहीं सत्ता की पुलिस चाहिए थी। हारकर मामले में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। मगर नतीजा वही ढाक के तीन पात।

प्रश्न

पुलिस सुधार पर की जा रही राजनीति और तर्कों-कुतर्कों वाली दलीलें न केवल पुलिस तंत्र से खिलवाड करने वाली हैं बल्कि ऐसे में भय मुक्त समाज की अवधारणा भी बेमानी है। जिस तंत्र से इलाज मिलना है अगर वही कैंसरग्रस्त है तो कानून व्यवस्था का हाल भगवान भरोसे ही होगा। ऐसे में चार दशक से लंबित पुलिस सुधार को लागू करवाना हम सबके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है।

समाज को अपराध मुक्त और लोगों द्वारा बेखौफ जीवन जीने के लिए निगहबान के रूप में खाकी की संकल्पना की गई। लिहाजा अंग्रेजों ने 1861 में पुलिस कानून देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया था। पर अफसोस आज डेढ़ सदी बाद भी उसी कानून से काम चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस अफसरों की जनहित याचिका पर पूरे दस साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पुलिस सुधार को लेकर 22 सितंबर, 2006 को जो निर्देश जारी किए। इन निर्देशों द्वारा चार नई संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया गया।

1. राज्य सुरक्षा आयोग
2. पुलिस स्टेब्लिशमेंट बोर्ड
3. पुलिस शिकायत प्राधिकरण
4. नेशनल सिक्योरिटी कमीशन

1. राज्य सुरक्षा आयोग : इसे जिम्मेदारी दी गई कि वह पुलिस के दैनिक कार्यों में राज्य सरकार का हस्तक्षेप न होने दे और पुलिस भी कानून सीमा का अंतिक्रमण न करे।

2. पुलिस स्टेब्लिशमेट बोर्ड : इसके द्वारा विभाग को कार्मिक मामलों में स्वायत्तता दी गई।

3. पुलिस शिकायत प्राधिकरण : इसे पुलिस के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जांच कर उन पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी दी गई।

4. नेशनल सिक्योरिटी कमीशन : जो केंद्रीय पुलिस बलों में सुधार की समय-समय पर समीक्षा करे और इन बलों के प्रमुखों के चयन ने सरकार को अपनी संस्तुतिया दे।

इसके अलावा कोर्ट ने महानिदेशक की चयन प्रक्रिया निर्धारित की और कहा कि पदासीन होने के पश्चात उनका कार्यकाल कम-से-कम दो वर्ष रहे। जनपदों या परिक्षेत्रों में आपरेशनल ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकारियों का कार्यकाल भी दो वर्ष निर्धारित किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराध अन्वेषण और शांति व्यवस्था के कार्यों के लिए बड़े शहरों में अलग-अलग स्टाक हो। कोर्ट के आदेशों से राजनीतिक गलियारों और राज्यों में खलबली मची। नेताओं को आदत पड़ चुकी है कि पुलिस उनके इशारे पर नाचे और वह जो भी उल्टे-सीधे कार्य करें, पुलिस उनका समर्थन करे। ब्यूरोक्रेसी को भी पुलिस की घुड़सवारी करने की आदत पड़ गई। विकास का कार्य हो या न हो, वह शांति व्यवस्था में दखल जरूर देना चाहते हैं। इन दोनों वर्गों ने डटकर पुलिस सुधार का विरोध किया। कई राज्यों ने कोर्ट के आदेशों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया, कई राज्यों ने डरते हुए आंशिक अनुपालन किया और कुछ राज्यों ने आदेशों के अनुपालन की स्वीकृति तो अवश्य दी परंतु वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं किया। कई प्रदेश तो ज्यादा होशियार थे, उन्होंने फटाफट अधिनियम पारित कर दिया। कोर्ट के आदेश में यह लिखा गया था उसके निर्देश तबतक लागू रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार इस विषय में अपने एक्ट न बना ले। राज्य सरकार ने इस प्रावधान का लाभ उठाते हुए एक्ट तो अवश्य बनाया परंतु वह एक्ट वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वर्तमान व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाते हुए नतीजा यह है कि सुधार की दिशा में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिचकिचाते हुए कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं परंतु वास्तव में अपेक्षित सुधार हुआ नहीं है। बीपीआरडी ने 1979 में पालिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनीपुलेशन आफ पुलिस पर एक रिसर्च पेपर जारी किया था जिसमें पाया कि पुलिस पर दोहरा दबाव रहता है दस सुझाव दिए गए, जिसमें पुलिस के मुख्य और संवेदनशील पदों पर नियुक्ति तथा कार्यकाल तय करने में राजनीतिक विचार को महत्व नहीं दिए जाने की सिफारिश की।

22 सितंबर, 2006 में कोर्ट के पुलिस सुधार संबंधी दिशानिर्देश के बाद का घटनाक्रम

11 जनवरी, 2007 : सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करने से साफ इंकार कर दिया। हालांकि सरकारों को आदेश पर अमल के लिए 31 मार्च, 2002 तक का समय दे दिया।

23 अगस्त, 2007 : गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की पुनर्विचार याचिकाए खारिज हुईं।

मई, 2008 : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश कटी थामस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई।

8 नवंबर, 2010 : थामस कमेटी की रिपोर्ट पर अपने पूर्व के आदेश पर कुछ भी अमल न करनेवाले राज्यों परिचम बंगाल, कर्नाटक महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया और उनके मुख्य सचिवों को 6 दिसंबर 2010 को अदालत में तलब किया।

6 दिसंबर, 2010 : उत्तर प्रदेश के अलावा तीन राज्यों के मुख्य सचिव अदालत में पेश हुए और उन्होंने स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के गठन के आदेश पर अमल करने की हामी भरी। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को केडर मैनेजमेट रूल रेगुलेशन में बदलाव

पर विचार करने का निर्देश दिया। ये डीजीपी की नियुक्ति के इम्पैनलमैट के बारे में था।

10 जनवरी, 2011 : सुधारों पर सोरावली माडल अख्तियार करनेवाले उत्तर प्रदेश को नेस्टेट सिक्योरिटी कमीशन में सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज को शामिल करने का निर्देश दिया।

11 अप्रैल, 2011 : सालिसीटर जनरल ने पुलिस की जांच इकाई को कानून व्यवस्था की इकाई से अलग करने पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा इसके अलावा डीजीपी और आइजी को 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल देने पर भी निर्देश लेने के लिए समय मांगा।

16 अक्टूबर, 2012 : कोर्ट ने सभी से आदेश पर अमल के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया।

पुलिस सुधार के लिए कुछ राज्यों के प्रयास

1. केरल पुलिस पुनर्गठन आयोग 1959
2. पश्चिम बंगाल पुलिस आयोग 1960-61
3. पंजाब पुलिस आयोग 1961-62
4. दिल्ली पुलिस आयोग 1968
5. तमिलनाडु पुलिस आयोग 1971
6. मध्य प्रदेश पुलिस आयोग विधेयक
7. आंध्र प्रदेश पुलिस विधेयक

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए पुलिस अधिनियम के निर्देश पर एतराज जताने वाले राज्य

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, असम, नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश।

खाकी को बदलने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए :

1. भारतीय पुलिस आयोग (1902-03) : इस आयोग ने पुलिस की कार्यशैली की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट दी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस पूरे तंत्र को असफल घोषित कर दिया। अपनी सिफारिशों में इसने कहा कि आमूलचूल सुधार तुरंत आवश्यक हैं। यह पहला मौका था कि किसी जिम्मेदार निकाय ने पुलिस सुधार की बात की।

2. राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1979-1981) : देश में आपातकाल के दौरान पुलिस महकमे की विसंगतिया खुलकर सामने आईं। लिहाजा तत्कालीन केंद्र सरकार को इस तंत्र में सुधार के लिए 1972 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन करना पड़ा। इस आयोग ने पुलिस तंत्र के संगठन दायित्व कार्यप्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप, पुलिस शक्ति का दुरुपयोग और विभाग की जवाबदेही व प्रदर्शन के मूल्यांकन सहित व्यापक संदर्भों का अध्ययन किया। 1979 से 1981 के बीच इस आयोग ने अपनी आठ रिपोर्ट पेश की। सभी रिपोर्ट में इसने पुलिस तंत्र में व्यापक सुधार संबंधी अपनी सिफारिशें दीं।

3. रिबेरो कमेटी (1998-1999) : 1996 में दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की न्यायालय के निर्देश पर मई 1998 में सरकार ने रिबेरो कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का दायित्व राष्ट्रीय पुलिस आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और वोहरा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करना था। साथ ही लंबित सिफारिशों को लागू करने संबंधी सुझाव या अन्य जरूरी सिफारिशें इसे करनी थीं। याचिकाकर्ताओं की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति को राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा का निर्देश दिया। इन सिफारिशों में राज्य सुरक्षा आयोग पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के तरीकों और पुलिस के काम में जांच और कानून व्यवस्था को अलग करना शामिल था। इस कमेटी ने दो रिपोर्ट पेश कीं। सुप्रीम कोर्ट की विशेष चिंताओं पर आधारित पहली रिपोर्ट अक्टूबर 1998 और दूसरी सामान्य रिपोर्ट मार्च 1999

में पेश की गई।

4. पद्मनामैया कमेटी (2000) : जनवरी 2000 में केंद्र सरकार ने पुलिस सुधार के लिए एक और समिति पद्मनामैया का गठन किया। इसने अगस्त 2000 में अपनी रिपोर्ट पेश की इस समिति का कार्य दायित्व व्यापक था। इनमें अगली सहस्राब्दी को पुलिस में समझ चुनौतियों के आकलन सहित एक ऐसी जन मित्रवत पुलिस की संकल्पना पेश करनी थी जो उग्रवादी और आतंकवाद एवं संगठित अपराधों से प्रभावकारी रूप से निपटने में सक्षम हो। ऐसे रास्ते सुझाने थे जिससे पुलिस को एक प्रोफेशनल और सक्षम फोर्स बनाया जा सके, पहचान को एक ऐसा कवच पहनाने का सुझाव देना था। जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप पर विराम लग सके, अपने तमाम कार्यदायित्वों पर इस समिति ने कई अहम सुझाव दिए। इनमें प्रमुख सुझाव पुलिस कानून को बदले जाने संबंधी था।

5. पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी (2005-2006) : 2005 में सोली सोराबजी की अध्यक्षता में पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। सितंबर, 2005 में कमेटी ने बैठक शुरू की और अक्टूबर, 2006 में केंद्र सरकार के पास एक मॉडल पुलिस कानून बनाकर पेश किया। इस कमेटी के कार्यदायित्वों में पुलिस की बदलती भूमिका और जिम्मेदारियों के आलोक में एक नया कानून तैयार करना था।

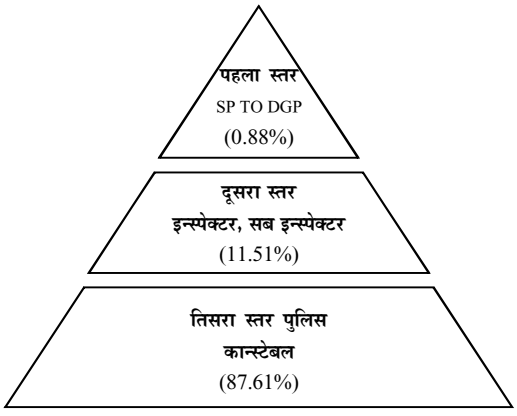

स्रोत : http//bprd.nic.in

6. प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार (2006-07) : 1996 में दो पूर्व पुलिस महानिदेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारों को उनके यहां पुलिस की खराब गुणवत्ता और प्रदर्शन को सुधारने का सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे। करीब एक दशक तक लटके इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 2006 में केंद्र और राज्यों को सात अहम दिशा निर्देश दिए। ये दिशा-निर्देश सभी के लिए बाध्यकारी थे। 2006 के अंत तक सभी के इस संबंध में उठाए गए कदमों से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना था। ज्यादातर राज्यो में कोर्ट से और समय की मांग की गई। अदालत ने अपने निर्णय की समीक्षा से इंकार करते हुए मार्च 2002 तक इन दिशा-निर्देश के अनुपालन का आदेश दिया।

सुझाव

1. आज पुलिस शासक की पुलिस है। इस छवि को जनता की पुलिस में बदला जाए।

2. शासन का पुलिस पर जो शिकंजा है वह समाप्त होना चाहिए और पुलिस को देश के कानून के अंतर्गत काम करने की स्वायत्ता होनी चाहिए।

3. कानून का शासन स्थापित करना पुलिस का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए।

4. अपराधों के पंजीकरण में सुधार होना चाहिए। अपराधों की स्थिति का आकलन आंकड़ों के आधार पर नहीं होना चाहिए।

5. मानवाधिकारों में आस्था रखते हुए जनता के प्रति पुलिसिया व्यवहार में सुधार हो।

6. जनता के कमजोर वर्ग, विशेषतौर से अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और अल्पसंख्यकों को पुलिस का वैधानिक संरक्षण अवश्य मिलना चाहिए।

7. जनशक्ति, परिवहन संचार व्यवस्था एवं फारेंसिक रसायनों में वृद्धि होनी चाहिए।

8. अधीनस्थ कर्मचारियों को आवासीय सुविधा पर

पुलिस-जनसंख्या और क्षेत्र अनुपात-1.1.2012 तक (स्वीकृत) और (वास्तविक)

क्र. सं.	राज्य	सिविल पुलिस (प्रति लाख जनसंख्या)		कुल पुलिस (प्रति लाख जनसंख्या)		सिविल पुलिस (प्रति 10059 कि.मी. क्षेत्र)		कुल पुलिस (प्रति 10059 कि.मी. क्षेत्र)	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
1.	आंध्र प्रदेश	135.03	88.90	155.88	104.92	41.99	27.52	418.25	326.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	624.34	432.48	919.15	622.91	9.34	6.47	13.75	9.32
3.	असाम	101.46	91.73	197.19	176.63	40.78	36.87	70.27	71.00
4.	बिहार	69.79	55.20	88.25	68.69	73.33	58.00	92.73	72.18
5.	छत्तीसगढ़	171.98	125.60	251.26	190.45	31.81	23.23	46.48	35.23
6.	गोवा	244.86	231.77	343.65	291.71	119.72	113.32	168.02	142.63
7.	गुजरात	138.86	89.09	175.16	97.93	42.18	26.87	52.82	29.53
8.	हरियाणा	227.40	137.75	246.20	163.98	128.66	77.94	139.29	92.78
9.	हिमाचल प्रदेश	160.72	143.72	254.33	217.20	19.51	17.44	30.87	36.36
10.	जम्मू कश्मीर	355.76	336.11	558.34	521.69	48.34	46.24	76.81	71.76
11.	झारखंड	177.41	129.47	233.20	176.33	69.93	51.03	91.92	69.50
12.	कर्नाटक	131.73	119.48	152.43	163.11	40.88	3.08	77.30	41.31
13.	केरला	117.05	113.06	142.52	130.79	107.28	102.83	129.62	18.95
14.	मध्य प्रदेश	83.18	74.42	113.67	103.94	19.86	17.77	27.14	24.82
15.	महाराष्ट्र	148.99	110.66	162.75	120.58	54.09	40.17	52.08	43.77
16.	मणिपुर	648.98	374.43	1133.59	842.60	79.70	45.98	139.22	103.48
17.	मेघालय	264.16	220.54	483.08	418.50	31.19	26.04	59.03	49.41
18.	मिजोरम	455.48	437.57	1100.39	1020.35	22.08	21.21	53.35	49.47
19.	नगालैंड	385.81	384.56	1063.60	1059.83	53.13	52.96	146.46	145.94
20.	उड़ीसा	80.56	71.36	133.31	111.29	21.37	18.93	35.37	29.53
21.	पंजाब	211.76	193.91	287.67	260.94	116.13	106.33	157.75	1433.09
22.	राजस्थान	104.62	93.98	122.89	111.77	20.91	18.78	24.56	22.34
23.	सिक्किम	407.43	331.99	879.00	636.35	35.54	228.90	76.68	55.51
24.	तमिलनाडु	142.01	120.10	164.60	140.26	74.53	63.04	86.39	73.62
25.	त्रिपुरा	726.23	618.16	1135.59	990.61	253.76	214.25	396.80	346.14
26.	उत्तर प्रदेश	163.44	70.55	1181.25	85.23	137.97	59.55	153.00	17.95
27.	उत्तराखंड	152.99	121.36	200.35	156.71	28.56	22.66	37.40	29.125
28.	पश्चिम बंगाल	64.59	44.82	84.24	60.31	60.57	46.19	36.81	62.05
29.	चडीगढ़	578.90	530.90	678.12	629.46	5895.61	54.00.00	6906.14	64.10

स्रोत : http//bprd.nic.in

विशेष ध्यान दिया जाए।

9. अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्यकाल से कम से कम तीन प्रोन्नति अवश्य मिले।

10. किसी पुलिसकर्मी से बारह घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जानी चाहिए और यह अवधि भी कालांतर में घटाकर आठ घंटे की जाए।

11. पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अधिनियम पारित करनेवाले राज्यों के कानून के मानदंडों पर परीक्षण हो।

संदर्भ सूची

1. सिंह प्रकाश (पूर्व डीजीपी और पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्त्ता) 2012 चुनौती बदली, खाकी नहीं, राष्ट्रीय सहारा गोरखपुर।

2. जोशी जी पी (पूर्व निदेशक ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एवं डेवलपमेंट) फलते-फलते लोकतंत्र में औपनिवेशिक पुलिस राष्ट्रीय सहारा गोरखपुर।

3. दीप्ति श्रीवास्तव, 2009 पुलिस सुधार में नई दिशा दृष्टि की आवश्यकता पुलिस विज्ञान पत्रिका, अप्रैल-जून, नई दिल्ली।

4. दीप्ति श्रीवास्तव, 2012 "पुलिस अधिकारियों की विभिन्न समस्या" पुलिस विज्ञान पत्रिका अप्रैल-जून, नई दिल्ली।

5. http//bprd.nic.in

आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका

डा. (श्रीमती) अनुपम शर्मा
एसो. प्रो. राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
केंद्रीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, (म.प्र.)

वस्तुतः आपदा एक ऐसी दुर्भाग्यशाली दुर्घटना है जो वस्तुतः प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित कारकों एवं परिस्थितियों के परिणामस्वरूप घटती है। इसके कारण आम आदमी/ राष्ट्र का सामान्य जीवन एकदम अस्त-व्यस्त हो जाता है, जन-माल एवं प्रगति के भौतिक संसाधन जैसे सड़क, पुल, बांध, फैक्ट्रियां, इमारतें, खड़ी फसलें, मिट्टी का उपजाऊपन, यातायात एवं संचार के साधनों इत्यादि का इतना ह्रास हो जाता है कि उपलब्ध सामाजिक एवं आर्थिक संसाधन भी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए नाकाफी सिद्ध होते हैं और पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने में एक लंबा समय लग जाता है।

आपदाएं निश्चित तौर पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में व्यापक विनाश और धन, जन एवं संसाधनों के एक बड़े नुकसान का कारण रही हैं। आपदाओं को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, मानव निर्मित एवं प्राकृतिक आपदाएं। परंतु औद्योगीकरण की इस अंधी दौड़ में जिसमें अक्सर प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र एवं अंधाधुंध दोहन वस्तुतः कुछ समयांतराल पश्चात ऐसी परिस्थितियों को जन्म देता है जो भयंकर आपदाओं (प्राकृतिक एवं मानव निर्मित) का कारण बनती हैं। अतः औद्योगीकरण के इस युग में यह विभाजन रेखा भी धीरे-धीरे खत्म हो रही है। वर्तमान में आपदाएं किसी-न-किसी रूप में (प्राकृतिक एवं मानव निर्मित) सामने आ रही हैं। इनमें कुछ सीमा तक इनके प्रभावों को कम करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि पुलिस विभाग की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराधों को रोकना होता है परंतु वर्तमान में यह संगठन आपदाओं से निपटने में भी अपनी भूमिका का विभिन्न स्तरों पर निर्वाह कर रहा है। वर्तमान में बढ़ती आपदाओं के कारण इसकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका कई स्तरों पर होती है अर्थात आपदा आने के पूर्व से लेकर यह बचाव कार्य तक चलती रहती है।

बचाव कार्य—आपदा के पश्चात आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को बचाना प्रमुख कार्य होता है। जो स्थानीय लोग वहां पर रह रहे होते हैं उनको उस स्थान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर भेजने की जिम्मेदारी भी पुलिस की होती है। यद्यपि ऐसे समय में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं परंतु इसके पश्चात भी घटना की पुनरावृत्ति होने पर क्षति को कम-से-कम किया जा सके इसका कार्य भी पुलिस के द्वारा ही किया जाता है। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने के पश्चात जान की हानि को कम किया जा सकता है। इसके साथ दूसरा कार्य भी इसके साथ ही आरंभ हो जाता है जो लोग आपदा से पीड़ित हुए हैं उनको उचित सहायता प्रदान करना, क्योंकि आपदा के परिणामस्वरूप लोगों का समस्त नष्ट हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में आपदा पीड़ितों को तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है।

आपदा के पश्चात बचाव कार्य में भी पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पुलिस प्रशासन ही वह मशीनरी है जो स्थानीय परिस्थितियों से अवगत होती है। उसकी यही जानकारी बचाव दल को सहायता प्रदान करती है। सरकार द्वारा उच्च स्तर पर सहायता दी जाती है परंतु कहां किस प्रकार की सहायता पहुंचानी है तथा कहां आपदा का प्रभाव अधिक हुआ है, कहां खाने की आवश्यकता है, कहां टैंट (अस्थायी आवास) की आवश्यकता है, इसका प्रमुख स्रोत पुलिस हो सकती है। इसका प्रमुख कारण यह होता है कि पुलिस को अपराध

रोकने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए सभी स्थानों पर जाना होता है इसलिए वे सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से परिचित होती है।

कुछ राज्यों में जैसे उड़ीसा एवं बिहार में सरकार के द्वारा पुलिस के मध्य आपदा प्रबंध इकाई, की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। होमगार्ड को भी आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है तथा कहीं-कहीं पर पुलिस के पास अपनी नावें भी होती हैं। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि पुलिस ही वह बचाव मशीनरी होती है जो सबसे पहले उपलब्ध रहती है। यद्यपि सरकार द्वारा तुरंत सहायता पहुंचाई जाती है परंतु पुलिस इन सबसे पहले बचाव कार्य का आरंभ करती है। यदि पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन एवं पर्याप्त प्रशिक्षण होता है तो ऐसी परिस्थितियों में बचाव कार्य आसान हो जाता है जिससे जान-माल की हानि को कम किया जा सकता है।

आपदा की स्थिति में सहायता सभी तरफ से प्रदान की जाती है। यह सहायता धन या वस्तु किसी भी रूप में हो सकती है। सहायता केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई जाती है। यह सहायता आपदा की भयावहता के ऊपर निर्भर करती है। इस प्राप्त सहायता सामग्री की जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन के कंधों पर ही होती है। पिछली आपदाओं में मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली थी कि सहायता सामग्री के ट्रक का सामान इधर-उधर पाया गया जो यह संदेश देता है कि सहायता सामग्री की सुरक्षा भी पर्याप्त तरीके से होनी चाहिए। यह सहायता सामग्री कितने लोगों के जान की रक्षा कर सकती है। यह हमने केदारनाथ में आई आपदा के दौरान देखा कि कितने लोग खाद्य सामग्री न मिलने के कारण दम तोड़ गए। इसलिए पुलिस द्वारा प्रदान की गई यह सुरक्षा कितने लोगों की जान बचा सकती है तथा कितनों को नया जीवन प्रदान कर सकती है। प्रशासन द्वारा इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सहायता सामग्री निश्चित स्थान पर किस तरीके से सुरक्षित पहुंचे। सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर प्रदान की गयी यह सहायता निश्चित रूप से पीड़ितों तक पहुंचनी चाहिए।

संचार की व्यवस्था बनाना—बचाव कार्य में न केवल स्थानीय मशीनरी बल्कि बाहरी टीमें भी कार्य करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में बाह्य एवं स्थानीय बचाव दल के मध्य सामंजस्य की आवश्यकता होती है तभी बचाव कार्य की गति को तीव्र बनाया जा सकता है। यदि आपदा तीव्र स्तर पर होती है तो बचाव कार्य भी निश्चित रूप से विशाल होता है। सामान्यतया: यह भी देखा जाता है कि आपदा के दौरान संचार साधन भी प्रभावित होते हैं जो निश्चित रूप से बचाव कार्य में बाधा पैदा करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस के संचार साधनों का प्रयोग आपातकाल के दौरान किया जा सकता है। पुलिस का बेतार (वायरलेस) संचार माध्यम का प्रयोग विभिन्न बचाव दलों के मध्य किया जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर पुलिस थानों के फलस्वरूप पुलिस का विभागीय संचार काफी मजबूत होता है जिसका फायदा निश्चित रूप से आपदा के दौरान लिया जा सकता है। पुलिस विभाग निश्चित रूप से विभिन्न बचाव दलों के मध्य संचार बनाए रखने का कार्य कर सकता है तथा अपनी सहायता प्रदान कर सकता है।

कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराधों पर नियंत्रण—पुलिस का प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराधों पर नियंत्रण बनाना होता है। आपदा की स्थिति में पुलिस की यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि उड़ीसा में आए आपदा का विश्लेषण करें तो आपदा से पूर्व कितने लोगों को अस्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर सुरक्षित पहुंचाना पड़ा था। यद्यपि यह कार्य काफी पहले आरंभ किया जा चुका था परंतु उसके पश्चात भी लोगों के लिए अपना सभी सामान अपने साथ ले जाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में लोग केवल अपना जरूरी एवं कीमती सामान ही अपने साथ ले जा सके। शेष सामान उनका अपने स्थायी

निवास पर ही रह गया। ऐसी स्थिति में पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है अर्थात वह खाली मकानों को सुरक्षित रखे जिससे लोगों के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जैसा अभी हमने उड़ीसा में आपदा के दौरान देखा, आपदा की पूर्व सूचना मिलने में व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था जिसके परिणाम स्वरूप आपदा के दुष्परिणामों को काफी कुछ सीमा तक कम कर दिया था।

आपदा के पश्चात भी यह स्थिति आती है अर्थात जान-माल की हानि के पश्चात कुछ लोग दूसरे लोगों की संपत्ति पर अपना अधिकार बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि वह इस संपत्ति को उनके शेष परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को दिलाए। दूसरी स्थिति में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई भी आती है। आपदा के दौरान लोगों की जान के साथ उनके माल की भी हानि होती है। ऐसी स्थिति में लोगों के पास खाने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है तथा आपदा पीड़ित लोग बाह्य सहायता पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में जो भी खाद्य सामग्री बाह्य रूप से उपलब्ध कराई जाती है उसको प्राप्त करने के लिए लोगों में संघर्ष की स्थिति आ जाती है।

प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि अपने जाननेवालों के लिए खाद्य सामग्री प्राप्त करना चाहता है। इसको प्राप्त करने के लिए वह दूसरों से संघर्ष करने से भी पीछे नहीं रहता है। ऐसी दर्दनाक स्थिति में पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मानवीयता का सहारा लेना चाहिए क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति जानबूझकर संघर्ष करता है तथा कानून व्यवस्था को खराब करता है। परंतु यहां पर उसका उद्देश्य अपना पेट भरकर अपनी जान की रक्षा करना होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में बहुत ही मानवीय व्यवहार की अपेक्षा भी पुलिस से की जाती है। निःसंदेह रूप से पुलिस अपनी इस भूमिका का निर्वाह काफी कुछ सीमा तक संतोषजनक रूप से कर रही है।

आपदा पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए न केवल सरकारी बल्कि गैर सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसके साथ ही न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं आपदा पीड़ित क्षेत्रों में जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हीं विभिन्न सहायता प्रदान करनेवाले संगठनों के मध्य सामंजस्य बैठाना भी एक कठिन कार्य होता है। पुलिस संगठन की भूमिका भी ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह इन विभिन्न संगठनों में सामंजस्य बैठाए तथा उनको कार्य करने में सहायता प्रदान करे।

अस्थायी कैंपों को भी सुरक्षा प्रदान करना— आपदा पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए अस्थायी कैम्पों की व्यवस्था भी की जाती है। पुलिस की भी ऐसी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे कैंपों में सुरक्षा बनाई रखी जाए जिससे अव्यवस्था की स्थिति पैदा न हो क्योंकि ऐसी स्थिति में जहां खाने की व रहने की पूरी व्यवस्था न हो, अव्यवस्था फैलने की अधिक संभावना होती है। इसलिए खाद्य वितरण करने के समय पुलिस की उपलब्धता आवश्यक होती है तथा दूसरी स्थिति में महत्वपूर्ण लोगों द्वारा समय-समय पर आपदा पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया जाता है। ऐसी स्थिति में भी पुलिस को सदैव तत्पर रहने की आवश्यकता होती है।

आपदा पीड़ित क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति या संगठन कार्य कर रहे होते हैं उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी भी पुलिस के ऊपर ही होती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं वे स्थानीय भौगोलिक स्थिति से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको सही मार्गदर्शन करना तथा उनकी सुरक्षा करना भी पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है तथा साथ ही साथ जो भी सामग्री वे सहायता के लिए लाते हैं जैसे—खाद्य, दवाइयां, कपड़े उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस को देखनी होती है जिससे ये सामग्री जरूरतमंद लोगों तक सुनिश्चित रूप से पहुंच सके।

आपदा पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के बल कार्य करते हैं जैसे भारत में सरकार ने केंद्रीय आपदा कार्यवाहक बल की स्थापना की है। केंद्रीय पुलिस बल की आठ बटालियनों को विशेषरूप से चिह्नित करके इस बल का गठन किया गया है। ये टीमें न केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम हैं बल्कि इन्हें विभिन्न प्रकार के नाभिकीय, जैवीय एवं रासायनिक खतरों का सामना करने के लिए भी दक्ष किया गया है। इनको विश्व स्तरीय प्रशिक्षण तथा अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। पुलिस का यह भी कार्य होता है कि वह इन बलों को आवश्यक स्थानीय सहायता उपलब्ध कराए जिससे ये बल अपने कार्य को सरलता एवं प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। यह एक वास्तविकता है कि हम प्राकृतिक आपदाओं को तो नहीं रोक सकते परंतु उसके प्रभाव को अवश्य कम कर सकते हैं तथा पीड़ित व्यक्तियों को अधिकाधिक सहायता पहुंचा सकते हैं।

उपर्युक्त भूमिका का निर्वाह पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर किया जाता रहा है। परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसको और प्रभावी बनाए रखने की आवश्यकता है। पुलिस की भूमिका को मानवीय बनाने पर बल दिया जाए जिससे ऐसी परिस्थितियों में वह और सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सके। बढ़ते प्राकृतिक आपदाओं ने पुलिस की मांग को और भी अधिक बढ़ा दिया है, क्योंकि पुलिस ही वह संगठन है जो आपदा की स्थिति में सबसे पहले सहायता पहुंचाने का कार्य कर सकती है तथा अन्य सहायता प्रदान करनेवालों को सहायता पहुंचाने का कार्य भी कर सकती है। भारत के संदर्भ भी यदि पुलिस की भूमिका का विश्लेषण करें तो काफी कुछ सीमा तक पुलिस ने अपनी भूमिका का निर्वाह संतोषजनक रूप से किया है। वर्तमान में पुलिस का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं रह गया है परंतु निजीकरण व भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप भी इसके कार्यों में न केवल परिवर्तन बल्कि कार्यों में वृद्धि भी हो रही है। आपदाओं के परिणामस्वरूप पुलिस की भूमिका नकारात्मक के साथ-साथ सकारात्मक भी होती जा रही है। आज आपदाएं किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर समस्त क्षेत्रों में दस्तक दे रही हैं। ये आपदाएं दुनिया के विभिन्न देशों में दिन-प्रतिदिन नए नए रूप में सामने आ रही हैं। नाम तो इन आपदाओं का कोई भी हो परंतु इसका परिणाम एक ही होता है जान-माल की हानि होना। यह हानि विभिन्न आपदाओं में भिन्न रूप से सामने आती है और जब ये आपदाएं प्राकृतिक होती हैं तो व्यक्ति के द्वारा बनाई गई मशीनरी एवं किया गया विकास भी बौना दिखाई देता है और हम चाहकर भी इनको नहीं रोक पाते हैं परंतु दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि इन आपदाओं के प्रभाव को कुछ सीमाओं तक कम करने में हम अवश्य रहे हैं।

संदर्भ

- टाइम्स ऑफ इंडिया

भारतीय समाज में महिला अपराध एवं पुलिस की भूमिका

डा. सुनीता मीणा
व्याख्याता, राजनीति विज्ञान
बा.शो.रा. कला महाविद्यालय, अलवर (राज.)

महिलाओं का उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन, तिरस्कार एवं यंत्रणा उतना ही प्राचीन है जितना कि पारिवारिक जीवन का इतिहास। यद्यपि सामाजिक विधान के परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाएं अन्य कई देशों की महिलाओं से कहीं आगे हैं किंतु इस आधी आबादी को अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया इतनी मंद, अव्यवस्थित एवं असंगत रही है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से वे पुरुषों से काफी पीछे रह गई हैं। उनसे न केवल काम में उनके साथ भेदभाव किया जाता है अपितु प्रत्येक क्षेत्र में उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता है। घर में तो उनकी स्थिति और भी खराब है। उनके साथ बदतर व्यवहार के अलावा विविध प्रकार के दुर्व्यव्यवहार भी किए जाते हैं। उनका उपहास करना, सताया जाना व आतंकित किया जाना, कभी-कभी मारा-पीटा जाना तथा यदा-कदा जलाकर मार दिया जाना स्पष्ट करते हैं कि वे प्रत्येक भूमिका में शिकार रहती हैं। किंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि न तो आपराधिक हिंसा संबंधी साहित्य में और न ही सामाजिक समस्याओं की पुस्तकों में अपराधों एवं हिंसा की शिकार महिलाओं के विषय में कुछ उल्लेखनीय लिखा गया है। इस उदासी एवं उपेक्षा के कारण ये हो सकते हैं कि प्रथमतः यह सर्वमान्य है कि पुरुष अपने को महिलाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं जिसके कारण महिलाओं के प्रति की गई हिंसा को हिंसा की दृष्टि से नहीं देखा जाता और दूसरे महिलाएं स्वयं अपने धार्मिक मूल्यों एवं सामाजिक दृष्टिकोण के कारण अपने प्रति की गई हिंसा से इंकार कर देती हैं लेकिन अब समाज काफी हद तक महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों को व्यक्तिगत वाद-बिंदू के बजाय जन समस्या मानने लगा है और स्वयं महिलाओं ने भी अपने प्रति होनेवाले अत्याचारों के अपराधों के समक्ष विरोध करने का साहस जुटाने का भी प्रयत्न किया है।

महिलाओं के प्रति अपराध

वैसे तो महिलाएं किसी भी अपराध की शिकार हो सकती हैं। इनमें ठगी, कत्ल या डकैती लेकिन वे अपराध जिनकी केवल महिलाएं ही शिकार हों या जो केवल महिलाओं के प्रति ही होते हैं उन्हें महिलाओं के प्रति अपराध कहा जाता है। विस्तृत रूप से महिलाओं के प्रति अपराधों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है—

1. भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध इनमें 6 प्रकार के अपराध सम्मिलित है—1. बलात्कार, 2. अपहरण या भगा ले जाना, 3. दहेज के कारण हत्या, 4. शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न अथवा पत्नी को पीटना चिढ़ाना।

2. स्थानीय एवं विशेष विधानों के अंतर्गत अपराध इसमें 4 प्रकार के अपराध सम्मिलित है—1. अनैतिक अवैधापणन (1978), 2. दहेज मांगना (1946 अधिनियम), 3. सती होने के लिए बाध्य करना (1987 अधिनियम), 4. महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (1986 अधिनियम)।

अपराधों के साथ-साथ महिलाओं के प्रति हिंसा की अवधारणा को स्पष्ट करना भी आवश्यक है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हिंसा की परिभाषा के स्थान पर हिंसा को एक मानव घटना के रूप में पहचाना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिकतर वे स्वार्थ सम्मिलित होते हैं जो दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं। अर्थात

किसी व्यक्ति (महिला) से प्रत्यक्ष या परोक्ष बल प्रयोग करके कुछ लेना जो कि वह स्वेच्छा से देना नहीं चाहती तथा जिससे उस महिला को शारीरिक आघात या भावात्मक धक्का या दोनों ही लगे हों। इस प्रकार बलात्कार, अपहरण, भगा ले जाना, कत्ल, दहेज मृत्यु (आपराधिक हिंसा के सभी मामले) पत्नी को पीटना, यौनाचार, विधवा या बड़ी उम्र की महिला के साथ दुर्व्यवहार (घरेलू हिंसा के सभी मामले), छेड़छाड़ पत्नी या बहू को भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना (सामाजिक हिंसा के सभी मामले) ऐसे वाद-बिंदू हैं जो समाज के एक बड़े भाग को प्रभावित करते हैं तथा भारतीय समाज की प्रत्येक महिला इनमें से किसी भी एक या एक से अधिक अपराध से ग्रसित रहती है। एक तरफ जहां महिलाओं की शिक्षा, स्वतंत्रता व सशक्तिकरण पर बल दिए जाने की वकालत हो रही है। उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक संबलता प्रदान किए जाने व व्यक्तिगत व

वर्ष 2008-12 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध शीर्ष अनुसार मामले तथा वर्ष 2011 के मुकाबले 2012 में प्रतिशत भिन्नता

क्र. स.	अपराध शीर्ष	वर्ष					2011 के मुकाबले 2012 में प्रतिशत भिन्नता
		2008	2009	2010	2011	2012	
1.	बलात्कार	21,469	21,397	22,172	24,206	24,923	3.0
2.	हरण एवं अपहरण	22,939	25,741	29,795	35,565	38,262	7.6
3.	दहेज मृत्यु	8,172	8,383	8,391	8,618	8,233	-4.5
4.	पति व रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	81,344	89,546	94,041	99,135	106,527	7.5
5.	आक्रोश के इरादे से महिलाओं पर आक्रमण	40,413	38,711	40,613	42,968	45,351	5.5
6.	महिलाओं की नम्रता का अपमान	12,214	11,009	9,961	8,570	9,173	7.0
7.	विदेशों से लड़कियों का आयात	67	48	36	80	59	-26.3
क	**महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध**	**186,616**	**194,835**	**205,009**	**219,142**	**232,528**	**6.1**
8.	सती प्रथा प्रतिबंध कानून 1987	1	0	0	1	-	-100.00
9.	अनैतिक व्यापार प्रतिबंध	2,659	2,474	2,499	2,435	2,563	5.3
10.	महिलाओं का अभ्रद प्रदर्शन	1,025	845	895	453	141	-68.9
11.	दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961	5,555	5,650	5,182	6,619	9,038	36.5
	महिलाओं के विरुद्ध	**9,240**	**8,969**	**8,576**	**9,508**	**11,742**	**23.5**
	एस एल एल अपराध कुल क+ख	**195,856**	**203,804**	**213,585**	**228,650**	**244,270**	**6.8**

स्रोत : रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम ब्यूरो

कुल भा.दं.सं. के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों का अनुपात

क्र.स.	वर्ष	कुल भा.दं.सं. अपराध	महिलाओं के विरुद्ध अपराध (भा.दं.सं. मामले)	कुल भा.दं.सं. के मामलों का प्रतिशत
1.	2008	20,93,379	1,86,617	8.9
2.	2009	21,21,345	2,03,804	9.2
3.	2010	22,24,831	2,13,585	9.6
4.	2011	23,25,575	2,19,142	9.4
5.	2012	23,87,188	2,44,270	10.2

स्रोत : रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम ब्यूरो

सामाजिक जीवन से बराबरी का हक प्रदान करने एवं विकास के अवसर पर बड़ी-बड़ी गोष्ठियां, सेमीनार, भाषण, लेखन किया जा रहा वहीं इस समाज का एवं महिला जीवन का दूसरा पहलू भी है। जो कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से महिला हिंसा व अपराध से गहराई से जुड़ा हुआ है। तभी तो राष्ट्रीय अपराधों के संबंध में 2012 के तथ्य इस सभ्य, शिक्षित व सुसंस्कृत समाज की हकीकत को बयां करते हैं।

उपर्युक्त आंकड़ों से यह तो स्पष्ट है कि 21वीं सदी के इस दौर में महिलाएं अपराध, अत्याचार एवं शोषण के अंतहीन कुचक्र में फंसती जा रही हैं। हालांकि 13 सितंबर, 2005 को घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम इस संबंध में महिलाओं की घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो रहा है और काफी हद तक हो सकता है लेकिन अभी अनेक शिक्षित और अशिक्षित महिलाएं ऐसी हैं जो इस अधिनियम के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखती हैं अर्थात अशिक्षा के साथ-साथ कानूनों की जानकारी का अभाव आर्थिक पराधीनता, समाज की सामंती सोच एवं अपने पारिवारिक विघटन का भय अनेक कारण हैं जिनके परिणामस्वरूप महिलाएं अपने ऊपर होनेवाले अत्याचारों तथा अपराधों एवं हिंसा को सहती रहती हैं।

महिला अपराधों को रोकने या कम करने में पुलिस की विशेष भूमिका होती है। प्रत्येक व्यवस्था में अपराधों को रोकने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस की व्यवस्था पाई जाती है और यह व्यवस्था का अभिन्न अंग रही है। समय पारिस्थितियों एवं परिवर्तन के साथ-साथ जैसे-जैसे समाज में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। उसी परिवर्तित समाज में पुलिस की भूमिका भी निरंतर बढ़ती जा रही है। चाहे अपराध समाज के किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय, लिंग या धर्म से जुड़ा हो। सभी में पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अगर मात्र महिला अपराध या हिंसा की बात की जाए तो इस संबंध में अभी भी अनेक बहुविद ऐसी चुनौतियां या बाधाएं हैं जिनके कारण लगातार महिला अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती जा रही है या कहें कि महिला अपराध या हिंसा को रोकने में पुलिस के समक्ष अनेक सीमाएं हैं।

1. इसका प्राथमिक कारक तो स्वयं अपराध सहनेवाली महिलाएं ही हैं जो समाज में बदनामी का भय, पारिवारिक विघटन का डर, आर्थिक पराधीनता, जीवन में अकेलेपन का भय जैसे अनेक कारणों से अपराध एवं हिंसा को सहती रहती हैं और पुलिस के पास नहीं जाती है।

2. हमारे समाज में पुलिस की छवि इस प्रकार की बनी हुई है। जैसे वह रक्षक नहीं भक्षक हो। इसलिए भी कोई महिला अकेले थानों में जाने के नाम से ही डरती है।

3. अगर कोई महिला हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज कर भी दे तो उस वक्त से तब से अपराधी को दंड मिलने तक की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल होती है कि संबंधित महिला की हिम्मत भी जवाब दे जाती है और इस दौरान उसे जो सामाजिक दबाव व मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उससे वह अपने को पहले ही पराजित महसूस करने लग जाती है। बल्कि उसे पृथकत्व का अभिशाप सहन करना पड़ता है।

4. महिला अपने साथ हुए बलात्कार, शारीरिक छेड़छाड़, पति द्वारा पीटे जाने की अभद्रता जैसे अपराधों को पुलिस के सामने बयां करने में संकोच करती है और खासतौर पर जब पुलिस अधिकारी पुरुष हो तो वह इस संबंध में पूर्णतः नहीं बता पाती।

5. इनके अतिरिक्त महिलाएं भावनात्मक रूप से अपने परिवार के साथ इस कदर जुड़ी होती हैं कि अपने परिवार की बदनामी का भय उन्हें लगा रहता है। पुलिस तक जाने का साहस कर भी लेती है तो उसका अपना परिवार भी उसका साथ नहीं देता तथा वह अकेली ही जाती है।

6. अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती हैं। शादी से पूर्व वो पिता या भाई और शादी

के बाद पति या ससुराल पर निर्भर रहती हैं। उनकी यह आर्थिक पराधीनता उन्हें कमजोर बना देती है और वे न केवल परिवार बल्कि रिश्तेदारों द्वारा भी शोषित होती रहती हैं तथा जीवनभर स्वत्व की पहचान बनाने में जूझती रहती हैं।

7. इन सभी कारणों के अतिरिक्त पीड़िता या उसके परिवार के प्रति पुलिस का रवैया या ये कहें कि स्वयं पुलिस का भय भी उतना ही जिम्मेदार है। जितना की अपराधी यहां मात्र कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से पुलिस का एक अलग ही चेहरा उजागर होता है।

24 मई, 2014 को दैनिक भास्कर (7 जनवरी, 2012) को मौलासर थाने में 22 दिन तक पुलिस कर्मियों द्वारा महिला से मारपीट एवं ज्यादती की गई।

31 मई, 2014 को सामूहिक ज्यादती की शिकार होने पर भी पीड़िता घंटों तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटकती रही और पुलिस पीड़िता का मामला अन्य थाना क्षेत्र का होने का बताकर टालती रही।

30 मई, 2014 (बी.बी.सी. हिंदी)—उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में गैंग रेप के बाद पेड़ से लड़की मिली दो नाबालिग लड़कियों के पिता के थाने जाने पर सबसे पहले उसकी "जाति" पूछी और कोई सहयोग नहीं किया जबकि कुछ पुलिसवाले अपराधियों की जाति के होने कारण उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। (हालांकि बाद में इन पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया)

29 मई जनसत्ता—"यौन उत्पीड़न के मामले की सही जांच नहीं करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार" एक महिला वकील ने आरोप लगाया कि लाजपत नगर थाने में 4 अप्रैल को कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की गई। 30 जून को दुष्कर्म के बाद तेजाब पिलाया एवं चेहरा जलाया तथा एक ही दिन में दुष्कर्म के 8 मामले उजागर 13 जून, 2014 "सपा विधायक के घर दलित लड़की से गैंग रेप"

13 जून, 2014 दुष्कर्म मामले पर यूपी के डीजीपी का शर्मनाक बयान "दुष्कर्म एवं हत्याएं रूटीन घटनाएं हैं।"

14 जून, 2014 "जनसत्ता" सामूहिक बलात्कार के बाद गांव में महिला को निर्वस्त्र घुमाया।

19 जून, 2014 "जनसत्ता" फतेहपुर जनपद के थाना चांदपुर में पशु चराने गई एक 11 साल की दलित बच्ची के साथ ग्राम प्रधान व उसके भाई ने सामूहिक बलात्कार किया और जानमाल की धमकी देते हुए फरार हो गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पांच दिन बीत जाने के बाद भी ग्राम प्रधान व उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है बल्कि लगातार सुलह समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि ग्राम प्रधान दबंग व अपराधी व्यक्ति है। 13 जून, 2014 "जनसत्ता" हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाने में एक विचाराधीन कैदी की पत्नी से खुद पुलिस अधिकारी और एक सिपाही ने बलात्कार किया। पीड़ित महिला अपने पति को छुड़ाने के लिए पुलिसवालों से बात करने गई थी लेकिन वहां मौजूद उपनिरीक्षक और एक सिपाही ने परिसर के भीतर ही उसके साथ बलात्कार किया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? कोई महिला जिन पुलिसकर्मियों से मदद की गुहार लगाए वही अपराधी साबित हों। हालांकि उच्च अधिकारियों की दखल के बाद महिला की शिकायत दर्ज कर ली गई है लेकिन थाने में उसके साथ हुआ अपराध यह बताने के लिए काफी है कि साधारण नागरिकों को पुलिस पर कितना भरोसा करना चाहिए। ऐसा लगता है कि पुलिस का रवैए लापरवाही से आगे बढ़कर आपराधिक हरकत में तबदील हो रहा है। सवाल यह है कि पुलिस के इस रवैये के रहते पीड़ितों को इंसाफ और दोषियों को सजा दिलाना कैसे संभव हो पाएगा।

हालांकि थाने में दर्ज प्राथमिकी ही आमतौर पर सच्ची लड़ाई और अदालती फैसलों का मुख्य आधार बनती है लेकिन यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में पीड़ितों के

साथ पुलिस कैसा बर्ताव करती है। इसके इसी रवैए के चलते बलात्कार जैसे सबसे त्रासद अपराध के मामले में सजा की दर पच्चीस फीसदी से भी कम है। उपरोक्त समाचार-पत्रों में मात्र कुछ घटनाओं से यह तो उजागर होता है कि किस प्रकार पुलिस जो रक्षक है वही भक्षक बन जाती है। जातिवाद, असहयोग, बलात्कार, हिंसा तथा अपराधियों के शय (संरक्षण) सभी प्रकार के आरोप पुलिस पर लगे हैं। यहां लेखिका का तात्पर्य पुलिस पर दोषारोपण करना नहीं बल्कि मात्र एक दूसरा पक्ष उजागर करना है जिसके कारण न केवल अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है बल्कि अपराध पीड़िता की हिम्मत ही जवाब दे जाती है कि अगर थाने में भी सुरक्षित नहीं रहेगी तो वह कहां जाएगी। पुलिस के इस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा अपराधी पुलिसकर्मियों को कड़ी-से-कड़ी सजा दिलानी होगी ताकि कानून के रखवाले स्वयं ही कानून की धज्जियां ना उड़ा सकें।

परिवर्तन की आवश्यकता— एक मानवीय दृष्टिकोण हालांकि महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के संबंध में अपनाए गए उपायो में कुछ उल्लेखनीय है।

प्रथमत : दिनांक 1995 में राज्य सभा में एक बिल महिलाओं के प्रति पाश्विक/निर्दयी अपराध निरोधक अधिनियम 1995 प्रस्तुत किया गया जिसमें महिलाओं के प्रति पाश्विक व बर्बर अपराध करनेवालों के विरुद्ध मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था।

द्वितीय : माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17 फरवरी, 1996 को एक निर्णय दिया कि नियमतः बलात्कार के मुकदमे की सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए ताकि पीड़ित महिला गवाह के कठघरे में खड़ी होकर अपमानित होने से बच सके। बंद कमरे में मुकदमा न केवल उस महिला के सुधार की संभावना होगी, क्योंकि वह खुलकर बयान देने में संकोच नहीं करेगी।

तृतीय : दिल्ली में महिलाओं के प्रति किए गए अपराध के मामलों पर मुकदमे चलाए जाने के लिए महिला न्यायालयों की स्थापना की गई है। 1994 में चार ऐसे न्यायालय स्थापित किए गए।

हमारे सांस्कृतिक वातावरण में हिंसा को सहन करना इतना बढ़ा है कि न केवल अनपढ़, कम शिक्षित और आर्थिक रूप से निर्भर स्त्रियां बल्कि कुलीन, उच्च शिक्षित व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्त्रियां भी कानूनी या पुलिस संरक्षण नहीं लेतीं। हमारे समाज में महिलाओं की दुर्दशा, हिंसा, अपराध को नियंत्रित करने के उपाय खोजते समय तथा स्त्री निर्व्यक्तिकरण के संकट से निपटने के लिए विचार करते समय उपरोक्त बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसा कि हम सोच सकते हैं कि महिला अपराध या हिंसा के लिए मुख्यतः तीन पक्ष जिम्मेदार होते हैं। प्रथम स्वयं महिला जो सबकुछ चुपचाप सहती है। दूसरा परिवार व समाज जो अक्सर अपराध की स्थिति में महिला को ही दोषी मानता है और उसके अपराध के विरुद्ध संघर्ष में उसका साथ नहीं देता और तीसरा पक्ष है हमारी कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन जिसकी प्रक्रिया इतनी लंबी, खर्चीली और तकलीफदेह होती है कि पीड़ित स्त्री अपराधी के विरुद्ध खड़ी होने से पहले ही हिम्मत हार जाती है।

जब अपराधों की पृष्ठभूमि में स्वयं पीड़ित, परिवार (समाज) और पुलिस प्रशासन कहीं-न-कहीं जिम्मेदार है तो सुधार की ओर सोच परिवर्तन की आवश्यकता भी इन तीनों ही स्तर पर होनी होगी तभी जाकर हम भारतीय स्त्रियों को स्वतंत्रता एवं समाज के साथ जीवन का अवसर दे पाएंगे। इस संबंध में कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं—

1. महिलाओं के प्रति अपने परंपरागत दृष्टिकोण को बदलने के लिए पुरुषों में जागरुकता पैदा करना। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि बचपन से ही लड़कों में अच्छे संस्कार दिए जाएं। उन्हें घरों में बेटी या बहन से अधिक महत्व न देकर उनके समान ही समझा जाए ताकि बराबरी की सोच पैदा हो सके और वे औरतों का सम्मान करें।

2. महिलाओं को स्वयं भी अपने दोयम दर्जे वाली या अपने को कमतर आंकने वाली सोच को बदलना होगा व अपने अधिकारों एवं आत्म सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चयी होना होगा।

3. महिलाओं के स्वैच्छिक संगठनों को मजबूत करना होगा क्योंकि अधिकांशतः जब एक स्त्री कुछ विचार व्यक्त करती है तो उस पर क्रांतिकारी विचारों का आरोप लगाया जाता है लेकिन समान विचारवाली महिलाएं समूह व संगठन बनाकर महिलाओं के कष्टों के विरुद्ध आवाज उठाए तो वह अपने विचारों को मनवा सकती है। हालांकि अनेक महिला संगठनों ने इस क्षेत्र में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह भी किया है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है।

4. महिलाओं के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा ताकि स्त्रियां आर्थिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक रूप से पराश्रित न रहें क्योंकि पराश्रितता समाज में उत्पीड़न, अपमान एवं तिरस्कार का कारण बनती है।

5. महिला आवास खोलकर भी हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को जो इस प्रकार की यातनाओं से बचना चाहती हैं और कोई काम करना चाहती हैं, उन्हें रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा अधिक महिला आवास बनाकर तथा स्वैच्छिक संगठनों आदि द्वारा उन महिलाओं के लिए सिर छुपाने का स्थान प्रदान किया जा सकता है।

6. इन सभी बिंदुओं के अतिरिक्त पुलिस प्रशासन भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि किसी भी प्रकार की हिंसा या अपराध से पीड़ित महिला का उनका सहयोगी के प्रति पुलिस को अपने रूढ़ीवादी, कठोर सोच एवं व्यवहार में परिवर्तन कर मानववादी व्यवहार करना चाहिए। ताकि पीड़ित पक्ष निर्भय व निःसंकोच पुलिस के पास मदद हेतु जा सके।

हालांकि इस संबंध में एक बहुत सकारात्मक फैसला दिनांक 3 जून, 2014 को आया जब केंद्र सरकार ने प्रत्येक जिले में वर्ष के अंत तक दुष्कर्म पीड़ित सहायता केंद्र खोलने का ऐलान किया है। जहां हादसों के पश्चात पीड़िता को पुलिस से लेकर कानूनी सहायता एवं आर्थिक मदद भी मिलेगी। अगर इसी तरह हमारा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन पुलिस एवं समाज मिलकर कोशिश करेंगे तो काफी हद तक महिलाओं के प्रति होनेवाले अपराधों को कम किया जा सकता है।

7. अपराधी न्याय व्यवस्था के बदलाव, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के दृष्टिकोण एवं मूल्यों में परिवर्तन, पारिवारिक न्यायालयों को बढ़ावा देना तथा मजिस्ट्रेटों के परंपरावादी व कठोर दृष्टिकोण के अनुस्थापन कोर्स द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है।

इन सभी के अतिरिक्त महिलाओं को कानूनी शिक्षा देना, मीडिया, प्रकाशित साहित्य, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करना, निःशुल्क कानूनी सहायता संगठनों को मजबूत करना तथा परिवार न्यायालयों एवं परिवार कानून सलाह सेवाओं को भी कार्यप्रणाली अधिक प्रभावशाली बनानी होगी, तभी भारतीय समाज में महिला अपने आपको सशक्त, सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस कर सकती है। किसी भी संवदेनशील सरकार को या प्रशासन को किसी अपराध के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए तुरंत सक्रिय होने और संबंधित महकमों की कमियों को दूर करने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए, साथ ही कोताही बरतने वाले या अपराध में शामिल होनेवाले अधिकारियों और कर्मचारियों एवं राजनेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने केवल व्यवस्था के स्तर पर खामियों को दूर करने में सहायक साबित हो सकती है बल्कि इससे जनता के बीच भी सकारात्मक संदेश जाएगा साथ ही हमारे जनप्रतिनिधियों को भी जिन्हें अपने उत्तरदायित्व को जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा, क्योंकि बलात्कार जैसे मामलों में कई नेताओं ने गैर-जिम्मेदाराना ख्याल जाहिर किए हैं। जिसके कारण पुलिस महकमे में आम नागरिकों की शिकायत की

परवाह न करने की प्रवृत्ति और गहरी होती जा रही है।

1. जब राष्ट्र बदलाव की ओर अग्रसर है तो इस आधी दुनिया के लिए महिला पुलिस, महिला वकील, महिला न्यायाधीश की प्राथमिक व्यवस्था होना वर्तमान के संक्रमणकाल में अपरिहार्य और लाजमी भी है जिससे पीड़िता को निश्चित अवधि में त्वरित न्याय की राहत प्रदान की जा सकती है। यद्यपि प्रतिशोध के लिए कानून का संरक्षण लिए जाने से हमें आगाह रहने की आवश्यकता है। जो युवा पीढ़ी को पहले आधुनिकता के आवरण में सहजीवन फिर अलगाव में हो जाने पर प्रतिकार स्वरूप कानून की ओट में विधि का दुरुपयोग नहीं हो इससे भी सतर्क रहना जरूरी है।

भारतीय संविधि के प्रावधानों के आलोक में यह उल्लेखित किया जाना महत्वपूर्ण है कि हम युवा राष्ट्र के प्रतीक का ढोल पीट रहे हैं जबकि संविधान को सुसंगत करनेवाले उत्तरदायी व्यवस्थापक कार्यवाहक और निर्णायक तीनों ही स्तरों पर संविधि प्रावधानों को नजरअंदाज किया जाता रहा है।

राजनीतिक नेतृत्व में महिला रेप आरोपी को कड़ी सजा को "लड़कों की गलती" कहना या ताली दोनों हाथों से बजती है अथवा रेप तो पहले भी होते रहे जैसे सामान्य जुमले सार्वजनिक या सोशल मीडिया पर दिखाई देते रहे हैं।

परंतु विधि के रचनाकारों का यह दृष्टिकोण तो राजनैतिक नेतृत्व के मानसिक पतन की ओर ही संकेत करता है।

भारतीय संस्कृति के संस्कारी उत्तरदायित्व धारक औपनिवेशिक मानसिकता से कब मुक्त होंगे यह तो अच्छे दिन आने के समान यक्ष प्रश्न ही है।

संदर्भ

1. राम आहूजा मुकेश आहूजा—"विवेचनात्मक अपराधशास्त्र" रावत पब्लिकेशन, जयपुर
2. पुलिस विज्ञान—जुलाई-सितंबर, 2012
3. दैनिक भास्कर समाचार पत्र—3 जून, 2014, जयपुर
4. "जनसत्ता" 20 मई, 2014 नई दिल्ली
5. बी.बी.सी. हिंदी समाचार 30 मई, 2014
6. दैनिक भास्कर, 31 मई, 2014
   24 मई, 2014 (7 जनवरी, 2012) की घटना
7. "जनसत्ता" मई, 2014 नई दिल्ली
8. "जनसत्ता" 13 मई, 2014, नई दिल्ली
9. "जनसत्ता" 19 जून, 2014, नई दिल्ली
10. ई.टी.वी. राजस्थान द्वारा प्रसारित कार्यक्रम
11. अनेक समाचार पत्र-पत्रिकाएं एवं टेलीविजन पर प्रसारित कार्यक्रम।

लेखकों से निवेदन

यदि पुलिस विज्ञान में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथा शीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

यदि आपने पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर कहानी या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कापीराइट हो अथवा उनके कापीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों पर समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कापीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस विज्ञान की नमूने की प्रति मंगाने के लिए संपर्क करें :—

संपादक
पुलिस विज्ञान
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
ब्लाक-11, चौथी मंजिल
सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
फोन : 24360371 एक्स. 115

वैब साइट — डब्लू.डब्लू.डब्लू. बीपीआरडी.एनआईसी.इन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार 30,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए 14,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है)। योजना के भाग दो में 40,000/- रु. के दो पुरस्कार हैं। जिसके लिए निर्धारित विषयों पर रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए **दिए गए विषय पर आवेदक उस विषय पर लिखने वाली पुस्तक में क्या-क्या सामग्री व अध्यायों आदि का उल्लेख करते हुए 5-6 पृष्ठ की एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना होगा** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रचनाएं/रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि सामान्यतः 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपादक (हिंदी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सी.जी.ओ. कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क करें।

(दूरभाष : 011-24362418, 24360371 एक्स-253 तथा फैक्स : 011-24362425)

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु अध्येतावृति योजना

पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 6 अध्येतावृतियों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत विज्ञापन प्रति वर्ष माह में भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून होती है। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले 2 वर्ष 8000/- रु. तथा तीसरे वर्ष 9000/- रु. तथा इसके साथ फुटकर खर्च के लिए 10000/- रु. तथा जिस संस्था से वह पंजीकृत होगा उसे 3000/- रु. प्रदान किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अनुसंधान एकक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेब साइट www.bprd.gov.in में भी देखी जा सकती है। (संपर्क के लिए फोन नं. 01124360371243)

पुलिस एवं कारागार संबंधी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं आमंत्रित

पु.अनु.वि. ब्यूरो (गृह मंत्रालय) **पुलिस एवं कारागार** से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को उनके संबंधित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए उपनिदेशक (अनु.) एवं सहायक निदेशक (सी.सी.), ब्लाक सं. 11, 3/4 मंजिल, सीजीओ कंप्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 (फोन नं. 01124362418 एवं 01124263872) पर संपर्क कर सकते हैं। तथा ब्यूरो की www.bprd.gov.in वेब साइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

क्र. सं.	*पुस्तक का नाम*	*लेखक का नाम*	*मूल्य*
1.	**भारतीय पुलिस का इतिहास** (अतीतकाल से मुगलकाल तक)	डा. शैलेन्द्र चतुर्वेदी	54/-
2.	**भारत में केन्द्रीय पुलिस संगठन**	श्री एच. भीष्मपाल	65/-
3.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री रामलाल विवेक	65/-
4.	**ग्रामीण पुलिस : समस्याएं एवं समाधान**	श्री शंकर सरौलिया	70/-
5.	**विकासशील समाज में समसामयिक पुलिस की भूमिका**	श्री आर.एस. श्रीवास्तव	105/-
6.	**स्वातंत्र्योत्तर भारत में पुलिस की भूमिका एवं जनता का दायित्व**	डा. कृष्णमोहन माथुर	210/-
7.	**मादक पदार्थ एवं पुलिस की भूमिका**	श्री हरीश नवल	—
8.	**सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की भूमिका का उद्‌भव**	प्रो. मीनाक्षी स्वामी	—
9.	**समग्र न्याय-व्यवस्था में पुलिस का स्थान एवं भूमिका**	श्री ललितेश्वर	600/-
10.	**पुलिस दायित्व एवं नागरिक जागरूकता**	डा. सी. अशोकवर्धन	568/-
11.	**महिला और पुलिस**	श्रीमती अमिता जोशी	100/-
12.	**मानवाधिकार और पुलिस**	डा. जी.एस. वाजपेयी	346/-
13.	**नई आर्थिक नीति एवं अपराध**	डा. अर्चना त्रिपाठी	183/-
14.	**बाल अपराध**	डा. गिरिश्वर मिश्र	225/-
15.	**न्यायालयिक विज्ञान की नई चुनौतियां**	डा. शरद सिंह	200/-
16.	**मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस**	श्री रामकृष्ण दत्त शर्मा एवं डा. सविता शर्मा	510/-
17.	**सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**	डा. तपन चक्रवर्ती, डा. रवि अम्बष्ट	205/-
18.	**संगठित अपराध**	श्री महेन्द्र सिंह आदिल	313/-
19.	**पुलिस कार्यों का निजीकरण**	डा. शंकर सरौलिया	330/-
20.	**साइबर क्राइम**	डा. अनुपम शर्मा	450/-
21.	**अपराधों की रोकथाम और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल**	डा. निशांत सिंह	545/-
22.	**अपराध पीड़ित महिलाओं की समस्याएं**	डा. ऋता तिवारी डा. उपनीत लाली	775/-
23.	**वैध समस्याओं के निदान हेतु बढ़ती हिंसा प्रवृत्ति**	श्री राकेश प्रकाश	
24.	**आतंकवाद एवं जन साझेदारी**	श्री विश्वेश शर्मा	665/-
25.	**व्यावसायिक यौनकर्मियों का सुधार एवं पुनर्वास**	श्रीमती नीना लांबा	665/-
26.	**बंदियों का सुधार एवं पुनर्वास**	प्रो. दीप्ति श्रीवास्तव	665/-
27.	**महिला पुलिस से अपेक्षाएं**	डा. (श्रीमती) अनुपम शर्मा	870/-
28.	**महिला कैदी एवं जेल-व्यवस्था**	श्रीमती अदिति	1196/-
29.	**पुलिस नेतृत्व**	डा. प्रशांत चौबे	947/-

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उपरोक्त सभी पुस्तकें, नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 से प्राप्त की जा सकती हैं।